₹ 10

www.kewalsachtimes.com

जनवरी 2026

# KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

## The Shahi Regime :

## A Chronicle of Institutional Plunder at Magadh University

*How Vice-Chancellor Shashi Pratap Shahi Orchestrated Systematic Financial Fraud, Land Theft and Administrative Corruption at Bihar's Historic Institution*

# जन-जन की आवाज है केवल सच

## आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

# जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

सत्येन्द्र नाथ बोस
01 जनवरी 1894

नाना पाटेकर
01 जनवरी 1951

विद्या बालन
01 जनवरी 1978

ममता बनर्जी
05 जनवरी 1955

दीपिका पादुकोण
05 जनवरी 1986

विपाशा वसु
07 जनवरी 1979

ए.आर. रहमान
08 जनवरी 1966

फराह खान
09 जनवरी 1965

हृतीक रौशन
10 जनवरी 1974

राहुल द्रविड
11 जनवरी 1973

स्वामी विवेकानन्द
12 जनवरी 1863

प्रियंका गांधी
12 जनवरी 1972

राकेश शर्मा
13 जनवरी 1963

मायावती
15 जनवरी 1956

जावेद अख्तर
17 जनवरी 1945

सुभाष चन्द्र बोस
23 जनवरी 1897

स्व. बाल ठाकरे
23 जनवरी 1926

बॉबी दिओल
27 जनवरी 1967

लाला लाजपत राय
28 जनवरी 1865

प्रिति जिंटा
31 जनवरी 1975

# KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

**Regd. Office :-**
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

**Corporate Office:-**
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

**Delhi Office :-**
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

**Kolkata Office :-**
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

## ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

| | AREA | FULL PAGE | HALF PAGE |
|---|---|---|---|
| COLOUR | Cover Page | 3,00,000/- | N/A |
| | Back Page | 1,00,000/- | 65,000/- |
| | Back Inside | 90,000/- | 50,000/- |
| | Back Inner | 80,000/- | 50,000/- |
| | Middle | 1,40,000/- | N/A |
| | Front Inside | 90,000/- | 50,000/- |
| | Front Inner | 80,000/- | 50,000/- |

| | AREA | FULL PAGE | HALF PAGE |
|---|---|---|---|
| B & W | Inner Page | 60,000/- | 40,000/- |

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

**महाप्रबंधक ( विज्ञापन )**

# भाजपा मतलब

# मोदी-शाह

**अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:-** editor.kstimes@rediffmail.com

राजनीति में कब किसका पलड़ा भारी हो जायेगा यह कहना काफी चुनौतीपूर्ण होता है और वर्त्तमान दौर में भाजपा के क्रिया-कलाप पर सटीक बैठती है। गठबंधन की राजनीति में NDA और UPA के वर्चस्व के बीच 2014 में मोदी एवं शाह की जोड़ी का आगमन गुजरात से निकलकर भारत देश के भीतर ऐसे हुआ की विपक्ष तो विपक्ष, खुद भाजपा के भी दिग्गज भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। 2014 में 273 एवं 2019 में 303 के आंकड़े ने मोदी एवं शाह की राजनीतिक औकात को इतना बड़ा कर दिया कि भाजपा को खड़ा करने वाला संगठन RSS भी धर्म-संकट के दौर से गुजर रहा है। संघ की भूमिका राष्ट्रहित में सर्वोपरि होती थी लेकिन मोदी एवं शाह की कूटनीति एवं वर्चस्व के आगे संघ भी बौना महसूस करने लगा है लेकिन 2024 के चुनाव के पूर्व आरक्षण के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने मोदी एवं शाह की मुश्किल खड़ी की और नतीजा भी संकट वाला ही आया और 240 पर ही सिमट गयी जिसकी वजह से NDA का प्रभाव बढ़ा लेकिन हिन्दू धर्म की दुहाई देने वाले मोदी एवं शाह ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया लेकिन गठबंधन की ताकत साथ नहीं होती तो शायद 2024 में मोदी भारत के PM नहीं होते। भाजपा के दिग्गज भी मानते हैं कि अब संघ का प्रभाव भाजपा के उपर नहीं है क्योंकि मोदी एवं शाह के सामने सब बौना हो चुके हैं। अब खुद बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले बांटने की राजनीति को जन्म देकर देश के भीतर तनाव उत्पन्न किया गया है। हिन्दू एकजुट होने के बजाय.....

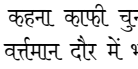

मन की बात करके भारत के लोगों का विश्वास जीतने वाले हिन्दू सम्राट नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने 2014 से आज तक अपनी ही बात को पार्टी के नेता हो या कमजोर विपक्ष, उनको मानने पर मजबूर कर देते हैं। मुगल साम्राज्य के प्रलयकारी इतिहास पर उंगली उठाने के साथ-साथ कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को उजागर करके 2014 से 2024 की हैट्रीक पारी खेलने में कामयाब हो चुके मोदी एवं शाह खुद को चन्द्रगुप्त और चाणक्य बन चुके हैं। 2014 से पहले भाजपा के अलावे अन्य राजनीतिक दल भी स्वीकार करता था कि भाजपा के पीछे संघ का बड़ा हांथ है जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में प्रभावकारी है लेकिन जैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर 273 सीटें आई उसी वक्त से मोदी एवं शाह ने अपना कब्जा भाजपा पर ऐसे जमा लिया जैसे इनदोनों ने ही भाजपा का गठन किया हो। कांग्रेस की नीतियां और मुस्लिम प्रेम को सोसल मीडिया के माध्यम से ऐसे प्रचारित किया की देश की 70 फिसदी क्षेत्रों में भाजपा का ताकत बढ़ने लगा और विभिन्न प्रदेशों में भाजपा की और भाजपा समर्थित पार्टियों की सरकार गठबंधन की वजह से बनने लगी। हर-हर मोदी, घर-घर मोदी के नारे से शुरू हुआ दौर फिर एकबार मोदी सरकार पर कायम हुआ और 2014 से अधिक प्रचंड सीट पर विजय हासिल हुई और तड़ीपार की उपाधी से विपक्ष द्वारा नवाजे जाने वाले अमित शाह वैश्य होने के बाद भी ब्राह्म्ण चाणक्य की उपाधी हासिल कर ली और भाजपा पर एकछत्र साम्राज्य कायम कर लिया और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष कौन बनेगा का व्यक्तिगत फैसला करने लगे और पर्दे के पीछे से आज के देश के चन्द्रगुप्त PM मोदी उनके फैसने पर अपनी मुहर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है रहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विभिन्न प्रदेश अध्यक्ष बिना संघ के फैसले के नहीं बनाये जाते थे लेकिन 2014 के बाद मोदी एवं शाह की महाजोड़ी ने संघ को भी विपक्ष की तरह जोड़ का झटका जोड़ से दिया है। पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवारों का चयन हेतु मंथन चल रहा था और ई० संजय विनायक जोशी के नाम के साथ-साथ शिवराज सिंह चौहान, वंसुधास राजे सिंधिया, भूपेन्द्र यादव की चर्चा भी तेज थी लेकिन सब मुंह ताकते रह गये और मोदी-शाह की जोड़ी ने बिहार के 45 वर्षीय भाजपा विधायक नितिन नवीन को पहले कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर पार्टी के भीतर एवं संघ के मिजाज को भांपाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनित कर दिया। भले ही मीडिया पर भाजपा के अनुभवी राजनेता कुछ न बोले पर मन की बात से यह निकल ही जाता है की पार्टी पर मोदी एवं शाह का एकमात्र कब्जा है बाकी उनके फैसले पर सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं। ऐसे तो कई राजनेता पार्टी के नजरों में बड़ा चेहरा है लेकिन जिसने भी मोदी एवं शाह से मुकाबला करने की हिम्मत जुटाई उनको उनकी शक्ति का एहसास कराया जा चुकी है। राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी जैसे दिग्गज भी किसी प्रकार अपना मंत्रीमंडल बचा पाने में सफल हैं और अन्य राजनेताओं की बात तो सिर्फ सबका साथ-सबका विकास पर जाकर सिमट जाती है। अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह जैसे नेता मोदी एवं शाह के हनुमान चालिसा पढ़ते नजर आते हैं और जैसे ही किसी का कद मोदी एवं शाह के बराबर का होने लगता है उसपर ग्रहण लगना तय माना जाता है। मोदी एवं शाह स्लोगन भी तय करते हैं और बाद में जुमला भी कहकर बाजी अपने पक्ष में करने की हुनर भी रखते हैं। यूपी में मोदी एवं शाह से भी ज्यादा कट्टरवादी हिन्दूवादी राजनेता के रूप में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो बार दमदार पारी खेली और आज वह देश के भीतर भाजपा के फायर ब्रांड प्रचारक हैं और उनका बुलडोजर योजना पूरे देश के लिए प्रशासन एवं राजनेताओं का हथियार बनता जा रहा है। बुलडोजर की चर्चा मकान ध्वस्त करने के साथ-साथ विश्व की राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बना ली है और मोदी एवं शाह भले ही खुले मंच से योगी आदित्यनाथ का विरोध न करें लेकिन आज के वर्त्तमान दौर में PM **मोदी** के बाद लोग PM **योगी** को देखना चाहते हैं, जबकी शाह की नजर भी PM की कुर्सी पर है। मोदी एवं शाह की जोड़ी उसी प्रकार हिट है जैसे आजादी के पूर्व से आजादी के बाद तक **नेहरू एवं गाँधी** की थी। आज भी मोदी एवं शाह की राजनीति का मुख्य केन्द्र बिन्दु नेहरू एवं गाँधी ही हैं। भारतीय राजनीति को जातिवाद से हटकर धर्म पर लाकर खड़ा करने वाले मोदी-शाह को अब एहसास होने लगा है कि धर्म की राजनीति के लिए किये गये वायदे चाहे वह अयोध्या का हो या फिर मथुरा - काशी का, वह भी भविष्य के लिए अधिक फायदेमंद नहीं है इसलिए जातिगत जनगणना एवं आरक्षण सहित संविधान की राजनीति को अधिक बल दिया जा रहा है। भारत को विश्वगुरू बनाने की बात को प्राथमिकता देने वाले मोदी अचानक योग्यता के बजाय घोर जातिवाद की राजनीति को महत्व देने लगे हैं और कई मंचों से अपनी सभाओं में छाती ठोक कर कहते नजर आये कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं जबकि पहले भारत का बेटा हूं और मुझे गंगा मैय्या ने बुलाया है की बात को कहते थकते नहीं थे। मोदी एवं शाह की जोड़ी से विपक्ष तो परेशान है हीं उससे भी ज्यादा चिंता खुद भाजपा के वरीष्ठ राजनेताओं का है इनके रहते उनकी बारी आयेगी भी की नहीं, कहना मुश्किल है। ऐसे में मोदी एवं शाह का कब्जा 100 फिसदी कायम है।

KEWAL SACH TIMES

*A National Magazine*

वर्षः- 15, अंकः- 175 माहः- जनवरी 2026 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

**Principal Editor**

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

**General Manager (H.R)**

Triloki Nath Prasad 9308815605

**General Manager (Advertisement)**

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

**Joint Editor/Lay-out Editor**

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

**Legal Editor**

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

**Asst. Editor**

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

**Sub. Editor**

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

**Bureau Chief**

Sanket kumar Jha 7762089203

**Bureau**

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

**Photographer**

Mukesh Kumar 9304377779

## प्रदेश प्रभारी

**दिल्ली हेड**

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

**झारखण्ड हेड**

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

**पश्चिम बंगाल हेड**

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

**मध्यप्रदेश हेड**

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

**छत्तीसगढ़ हेड**

आवश्यकता है

**उत्तर प्रदेश हेड**

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

**उत्तराखण्ड हेड**

आवश्यकता है

**महाराष्ट्र हेड**

आवश्यकता है

**गुजरात हेड**

आवश्यकता है

**आंध्र प्रदेश हेड**

आवश्यकता है

**राजस्थान हेड**

आवश्यकता है

**पंजाब हेड**

आवश्यकता है

**हरियाणा हेड**

आवश्यकता है

**राजस्थान हेड**

आवश्यकता है

**उड़ीसा हेड**

आवश्यकता है

**आसाम हेड**

आवश्यकता है

**हिमाचल हेड**

आवश्यकता है

**दिल्ली कार्यालय**

**केवल सच टाइम्स**,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

**पश्चिम बंगाल कार्यालय**

**केवल सच टाइम्स**,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

**झारखण्ड कार्यालय**

**केवल सच टाइम्स**,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

**मध्यप्रदेश कार्यालय**

**केवल सच टाइम्स**,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

**विशेष प्रतिनिधी**

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

# केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

**हमारा पता है**

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

**हमारा ई-मेल**

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

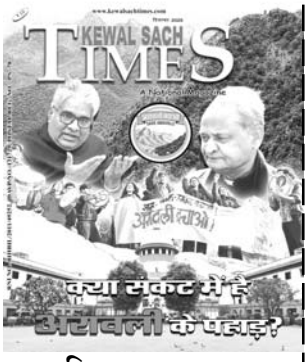


दिसम्बर 2025

## वंदे मातरम

**मिश्रा जी,**

मैं केवल सच टाइम्स पत्रिका का नियमित पाठक हूं और इसके सभी अंक को पढ़ता हूं। इस पत्रिका में प्रकाशित खबरें बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। अमित कुमार की दिसम्बर 2025 अंक ''**वंदे मातरम पर बहस क्यों?**'' में राजनीतिक पार्टियों की सोच एवं उसकी प्रतिक्रिया पर दमदार खबर को पाठकों के बीच रखा है कि किस प्रकार राजनीतिक दल अपने वोटरों के लिए वंदे मातरम का विरोध करते हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्षी दलों में वंदे मातरम को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है जबकि प्रत्येक भारतीय को इसका सम्मान करना चाहिए।

● **मोहित मिश्रा, अशोक नगर, पटना, बिहार**

## हिजाब विवाद

**संपादक महोदय,**

**केवल सच टाइम्स**, पत्रिका के दिसम्बर 2025 अंक में अमित कुमार की खबर ''**हिजाब विवाद**'' में नीतीश कुमार से माफीनामे की मांग के साथ एफआईआर भी दर्ज किये गये है की बातें भी मीडिया में आई है। जिस प्रकार नियुक्ति पत्र बांटने के क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम लड़की का चेहरे से हिजाब हटाया तो उस लड़की ने इसका विरोध बाद में किया और इस मुद्दे को लेकर महिलाओं ने भी काफी प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारे में पक्ष एवं विपक्ष का अपना अपना तर्क है। समीक्षात्मक खबर को पूरी गंभीरता के साथ पाठकों के बीच अपनी बात को रखा है जो बधाई योग्य है।

● **कुणाल चंद्रवंशी, रमना रोड़, गया, बिहार**

## अन्दर के पन्नों में

10

30

37

## नितिन नवीन

**संपादक महोदय,**

केवल सच टाइम्स पत्रिका के दिसम्बर अंक 2025 अंक में ''**नितिन नवीन**'' को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जाने की खबर को सही ढ़ंग से लिखा है। किस प्रकार नितिन नवीन ने एक विधायक से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हासिल किया है की बातों को आपकी पत्रिका ने रखा है। इस पद को लेकर पिछले कई वर्षों से उहापोह की स्थिति थी लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर कायस्थ वोटरों का मिजाज अपने पक्ष में करने की मोदी एवं शाह की कूटनीति कितना कारगर सिद्ध होगा, पर पठनीय खबर को आपने लिखा है। इस अंक की सभी खबरों पठनीय एवं जानकारीप्रद है।

● **महेन्द्र पाल सिंह, करोल बाग, नई दिल्ली**

## मुख्यमंत्री

**संपादक महोदय,**

आपका संपादकीय सभी से अलग और पूर्ण बेबाकी के साथ लिखा जाता है। ऐसा लगता है की कभी भी आपकी हत्या हो सकती है क्योंकि आप बिना भय के कोई भी खबर को प्राथमिकता के साथ लिखते हैं।। दिसम्बर 2025 अंक का संपादकीय ''**क्या सच में बीमार हैं मुख्यमंत्री**'' में आपने देश के भीतर के मुख्समंत्री के राजनीतिक करतूतों को पूर्ण बेबाकी के साथ लिखा है चाहे वह बिहार के मुख्यमंत्री हो या मध्यप्रदेश के। सत्ता पर काबिज रहने के लिए इस स्तर तक गिर जाना जिससे खुद की नजरों में ही गुनहागर साबित हो तो फिर निश्चित तौर पर देश के बटेंगे तो कटेंगे की राह पर कदम बढ़ा चुका है जिसको संभालना सबके लिए चुनौती है।

● **सुरेन्द्र शर्मा, सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली**

## राम मंदिर

**मिश्रा जी,**

मैं केवल सच टाइम्स पत्रिका को www.kewalsachtimes.com को वेबसाइट पर फ्री में पढ़ता हूं। दिसम्बर 2025 अंक में पत्रकार अवधेश कुमार की खबर ''**अयोध्या में राम मंदिर देश के लिए स्थायी प्रेरणा का स्त्रोत**'' में राम मंदिर निर्माण के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह खबर काफी उत्साह को बढाती है। देश का धर्म ध्वज को फहरा कर भारत देश की प्रतिष्ठा को विश्व के पटल पर ले जाने कार्य योगी की सरकार ने किया है जो स्वागतयोग्य है। धर्म एवं राजनीति एवं सरकार की गतिविधियों से जुड़ी सभी खबरों को केवल सच टाइम्स पत्रिका प्रमुखता से स्थान देता है जिससे इसकी महत्ता अधिक बढ़ जाती है।

● **संजय पासवान, मानपुर बाजार, गया**

## अरावली

**ब्रजेश जी,**

''**क्या संकट में हैं अरावली के पहाड़?**'' खबर में पर्यावरण के विषय को पूरी गंभीरता से उठाने के साथ-साथ पहाड़ का अस्तित्व में दिल्ली के सुरक्षा एवं राजस्थान की पहचान को जिवंत रखने की बात को अपने आलेख में पूरी मजबूती के साथ न्यायालय के आदेश की बातों को तथ्यात्मक समीक्षा करके लिखा है जिसकी वजह से इस आलेख की गुणवत्ता बढ़ जाती है। खबर का मतलब भ्रामकता पैदा करना नहीं बल्कि आवाम को जागरूक करना एवं सरकार को सजग रखने की जिम्मेवारी भी होती है और आपकी पत्रिका केवल सच टाइम्स ने इस खबर को लिखकर साबित कर दिया है कि अमरावती पहाड़ को बचाना कितना आवश्यक है।

● **मोहन भोजक, श्याम बाजार, कोलकात्ता**

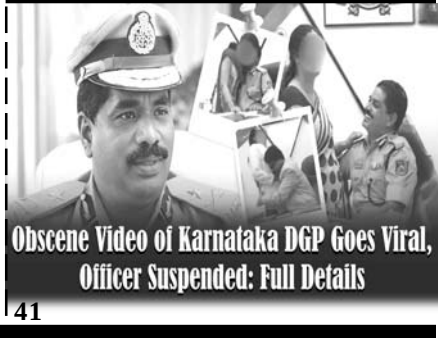

41

## श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

**'केवल सच'** पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

**पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स**

09431016951, 09334110654

## डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

**'केवल सच'** पत्रिका

**एवं 'केवल सच टाइम्स'**

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

## सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

## कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

**'केवल सच'** पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

**व्यवसायी**

**पटना, बिहार**

**7360955555**


# एक नजर

**संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-**

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

| | | |
|---|---|---|
| A/C No. | :- | 20001817444 |
| BANK | :- | State Bank Of India |
| IFSC Code | :- | SBIN0003564 |
| PAN No. | :- | AKKPM4905A |

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".

# KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

Registered Under the Indian Society Act 21, 1880

**East Ashok Nagar, Road No.-14,**
**Kankarbagh, Patna - 800020**

Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

**E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com**

**Reg. No. : 1141 ( 2009-10 ), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी ( 5 )/तक०/2013-14/1060-63**

# APNA GHAR

Now in the State of Bihar & Jharkhand

Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.

## KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

| | | |
|---|---|---|
| **A/C No.** | - | **0600010202404** |
| **Bank Name** | - | **United Bank of India** |
| **IFSC Code** | - | **UTBIOKKB463** |
| **Pan No.** | - | **AAAAK9339D** |

● अमित कुमार

विकास की चकाचौंध और स्मार्ट सिटी के दावों के बीच, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके से आई तस्वीरें और कहानियाँ रूह कंपा देने वाली हैं। यहाँ मौत किसी बीमारी या हादसे के रूप में नहीं, बल्कि सीधे नल की टोंटी से बहकर आई। जिस पानी से प्यास बुझनी थी, उसने घरों के चिराग बुझा दिए। यह विडंबना ही है कि जिस क्षेत्र का नाम माँ गंगा को धरती पर लाने वाले 'भागीरथ' के नाम पर हो और जो 'बाणगंगा' थाने की सरहदों में आता हो, वहाँ लोग पानी की एक-एक बूंद में घुले जहर से मर रहे हैं। देश का "सबसे स्वच्छ शहर" कहलाने वाला इंदौर आज एक गंभीर मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन चुका है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में नगर निगम की जलापूर्ति लाइन में सीवर का गंदा पानी मिल जाने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक छः महीने का मासूम बच्चा और कई महिलाएं शामिल हैं। 1,100 से अधिक लोग उल्टी-दस्त और गंभीर संक्रमण की चपेट में हैं। सैकड़ों मरीज अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। यह वर्षों की लापरवाही, दिखावटी स्वच्छता अभियानों और जनता की जान के साथ किए गए क्रूर प्रयोग का नतीजा है। इंदौर में दूषित पानी से काल के गाल में समाए 6 महीने के आव्यान की मां साधना साहू को भी अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। विजयनगर के अपोलो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि उन्हें उल्टी और बुखार की शिकायत हो रही थी। जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया। साधाना ने यह भी कहा कि मैं तो अपना बेटा खो चुकी हूं, लेकिन प्रशासन अब कम से कम इतनी व्यवस्था कर दे कि किसी और मां की कोख न उजड़े। उनके पति सुनील साहू ने कहते हैं कि बेटे आव्यान की मौत के बाद साधना और वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। घर में आव्यान के दादा और उनकी बेटी अकेले हैं और वे अस्पताल में पत्नी का इलाज करवा रहे हैं। इतना सबकुछ होने के बाद पत्नी भी बीमार हो गई हैं, जिससे उनका पूरा परिवार अस्त-व्यस्त हो गया है। साधना और उनके पति सुनील ने बताया कि डेढ़ साल से मोहल्ले वालों की तरफ से नगर निगम इंदौर को शिकायत की जा रही थी। लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, किसी ने आकर झांका भी नहीं। अगर अधिकारी समय रहते सुन लेते तो उनका बेटा आज जिन्दा होता और इंदौर में इतने लोगों की मौत भी नहीं होती। यह नगर निगम और जिम्मेदार अफसरों की ही लापरवाही का नतीजा है कि इतने लोग मर गए और 150 लोग

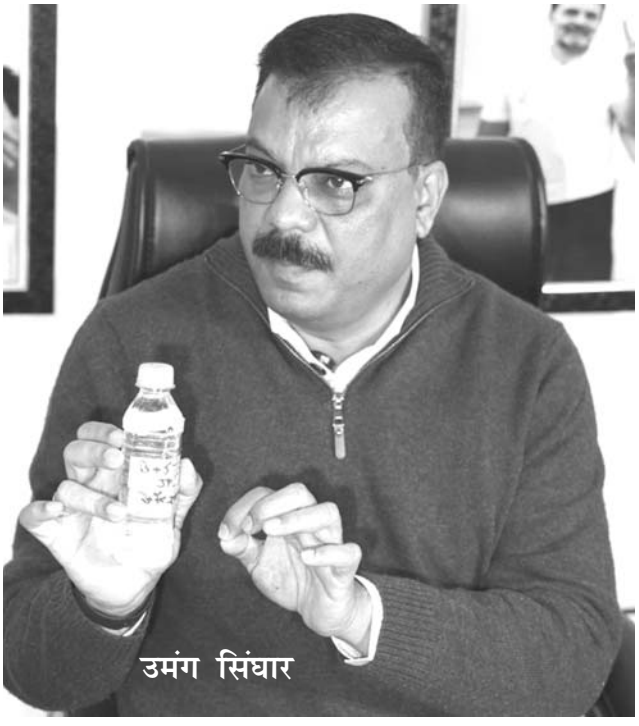
उमंग सिंघार

अस्पतालों में भर्ती हैं। बता दे कि ये वही साधना साहू हैं, जिनके 6 महीने के बेटे आव्यान ने दूषित पानी से हाल ही में दम तोड़ दिया था। इस खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और यहां दूषित पानी से भागीरथ पूरा में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जान गंवाने वालों में 6 महीने का आव्यान भी शामिल है, जिसकी मासूम तस्वीर देखकर हर कोई सिहर उठा था।

विदित हो कि दूषित पानी से लगातार हो रही मौत से इंदौर में बवाल मचा है। सवाल उठता है कि क्या दूषित पानी का संक्रमण इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उससे मरीज की मौत हो सकती है। इस बारे में अपोलो अस्पताल के मेडिकल सुप्रीटेंडेट डॉ सुशील जैन ने बताया कि देखिए दूषित पानी से एक दम से दस्त लगते हैं, उल्टियां होती है तो शरीर से पानी की कमी हो जाती है। यह एक्प्लोसिव डायरिया की वजह से होता है। इस पर यदि मरीज को साथ में कोई और भी बीमारी पहले से हो तो यह और संक्रमण मिलकर उसे गंभीर बीमार कर देता है। ऐसे में किडनी फेल होने की संभावना होती है। या डायलिसिस का सहारा लेना होता है। इसके साथ ही ओल्ड एज होना या हार्ट की बीमारी होना आदि पहले से हो तो मरीज की मौत हो सकती है। वही हम मरीज के इलाज के दौरान उसके दस्त के सैंपल लेते हैं, पानी के सैंपल हमारे पास नहीं होते हैं। इलाज में हम फोकस करते हैं कि जांच में कौन से कीटाणु पाए गए हैं। किस तरह के कीटाणु में किस तरह के एंटीबायोटिक्स हमें देने चाहिए, यह सब ध्यान में रखते हुए इलाज करते हैं। चूंकि हमारे पास पानी का कोई सैंपल नहीं होता है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि पानी को साफ करने के लिए कौन सा कैमिकल कितना कम या ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है।

विदित हो कि दूषित पानी से हुआ कांड आखिर कैसे हुए, सब जानना चाहते है! दरअसल, शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में हो रही खुदाई या टंकी के दूषित पानी के कारण यह स्थिति बनी है, क्योंकि इलाके में नर्मदा का पानी सप्लाई होता है। नर्मदा विभाग के अफसरों का कहना है कि पानी की जांच की गई है। प्रारंभिक तौर पर पानी दूषित नहीं पाया गया। बस्ती में डायरिया किस वजह से फैला। इसकी जांच के लिए पानी के सैंपल लिए गए हैं। वहीं, डॉक्टरों का कहना है कि पांच दिन से बस्ती के लोग आ रहे हैं। पतले दस्त और उल्टी ज्यादा होने से शरीर में कमजोरी आ गई है। रोज पांच-सात मरीज आ रहे हैं। सभी में डायरिया के लक्षण पाए गए। बहरहाल, 18 लोगों की मौतें और सैकड़ों लोगों का इलाजरत्त होना, इंदौर में दूषित पानी से हुआ कांड कोई हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की घोर लापरवाही है। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्यप्रदेश और इंदौर प्रशासन पर लगाए हैं। उन्होंने कैग की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि दूषित पानी को लेकर 6 साल पहले ही कैग ने चेताया था लेकिन किसी ने नहीं सुनी और 18 मौतें हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर दूषित पानी कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भोपाल और इंदौर की जल आपूर्ति को लेकर कैग (CAG) ने 2019 की रिपोर्ट में ही गंदे पानी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोती रही और अब 18 लोगों की जान चली गई। उमंग सिंघार के इस आरोप के बाद मध्यप्रदेश की जल आपूर्ति व्यवस्था

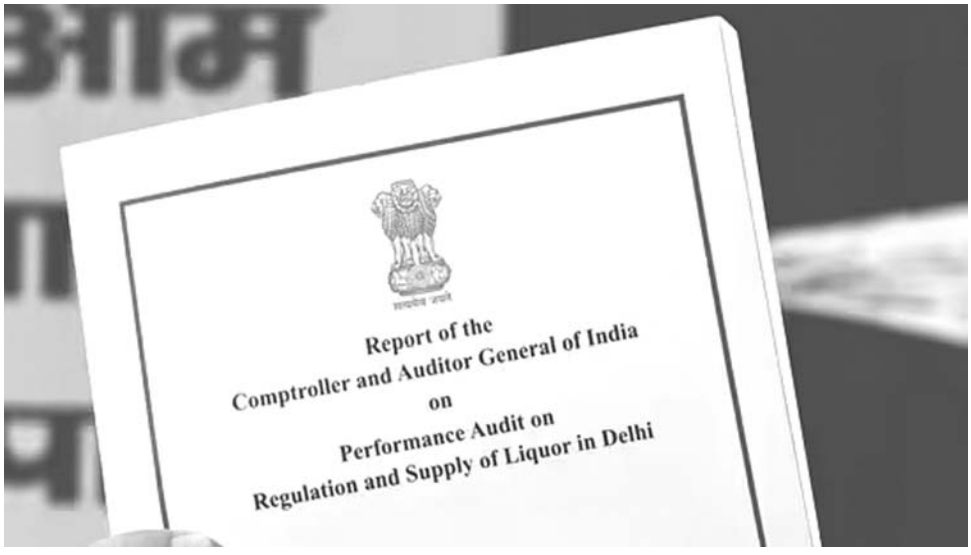


पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। उमंग सिंघार ने ट्वीट कर कहा कि गंदे पानी की वजह से आम लोगों की मौतें हो जाना कोई हादसा नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा है। वही नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने इसके बाद कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने साल 2004 में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के जल प्रबंधन के लिए 200 मिलियन डॉलर (तब करीब 906 करोड़ रुपए) का कर्ज लिया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि हर आम नागरिक को पर्याप्त और साफ पानी मिल सके। लेकिन कर्ज लेने के करीब 15 साल बाद 2019 में आई CAG रिपोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को असफल और भ्रष्टाचार से ग्रस्त बताया। नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि CAG की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में केवल 4 जोन और भोपाल में सिर्फ 5 जोन में रोज पानी की सप्लाई हो रही थी। दोनों शहरों

के 9.41 लाख परिवारों में से महज 5.30 लाख को ही नल कनेक्शन मिल सके। पाइपलाइन लीकेज की शिकायतों पर नगर निगम 22 से 182 दिन तक लगाता रहा। 2013 से 2018 के बीच लिए गए 4,481 पानी के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए, लेकिन इन पर की गई कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बता दें कि CAG की जांच में 54 में से 10 पानी के नमूने दूषित पाए गए, जिनमें गंदगी और मल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद था। इसके चलते भोपाल के 3.62 लाख और इंदौर के 5.33 लाख कुल 8.95 लाख लोगों को गंदा पानी सप्लाई हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि गैर-राजस्व पानी 30 से 70 प्रतिशत तक है, यानी इतना पानी कहां जा रहा है यह किसी को पता नहीं।

बता दें कि इंदौर के भागीरथपुरा में खबर लिखे जाने तक दूषित पानी से 18 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। यह नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में कांग्रेस मंत्री विजयवर्गीय की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है। हालांकि लगातार हंगामें के बीच नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को हटा दिया गया है। इस पूरे कांड को लेकर इंदौर में हंगामा मचा हुआ है। साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पत्रकार को दिए बयान में 'घंटा' शब्द के इस्तेमाल को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पानी में सीवेज का पानी मिला होने की जो संभावना थी वही मिला है। उसका ट्रीटमेंट जारी है। अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। हम 100% इसकी जांच करेंगे, इसमें 8-10 दिन लगेंगे। वही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों से मुलाकात

अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख नहीं होती। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं। उमा भारती ने कहा कि प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिंदगी की कीमत दो लाख

की। उन्होंने अस्पतालों का दौरा कर मरीजों की हालत जानी और इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत भी की और अधिकारियों को सभी मरीजों को समय पर और उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं चार-पांच अस्पतालों में गया और इलाज करा रहे सभी मरीजों से मिला। सभी की हालत स्थिर है और अस्पतालों में सही इलाज दिया जा रहा है। लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे, मंत्री और महापौर मौके पर हैं और हालात की फिर से समीक्षा कर रहे हैं। सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी, खासकर पानी सप्लाई से जुड़ी शिकायतों के मामलों में। मुख्यमंत्री ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए गहन जांच कराने की बात भी कही। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और सभी प्रभावित लोगों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

गौरतलब है कि जांच के लिए भेजे गए सैंपल में ई कोलाई और शिगेला जैसे खतरनाक बैक्टिरिया की पुष्टि हुई है। इस बीच मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने इस मामले में

उमा भारती

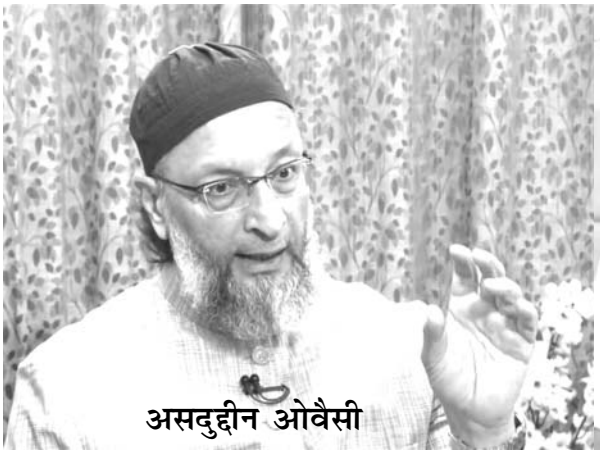
असदुद्दीन ओवैसी

दिलीप कुमार यादव

कमल बाघेला

रुपए नहीं होती क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दु:ख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीडितजनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। उन्होंने कहा कि यह मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। इससे पहले AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 2026 में ये लोग विश्वगुरु का दावा करते हैं और लेकिन लोग यहां गंदा पानी पीकर मर जाते है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा था कि इन लोगों को सिर्फ बुलडोजर का फिक्र है। वे खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं और कोई काम नहीं है। किसी मुसलमान पर इलजाम लगा तो उसे लाकर पीटते हैं और उसका घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 18 लोगों की मौत हो गई और 162 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग बेसिक जरूरत भी मुहैया नहीं करा सकते। शुद्ध पेयजल भी मुहैया नहीं करा सकते हैं। ये तो मध्यप्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है।

बताते चले कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से लोगों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। खुलासा हुआ है कि पिछले तीन साल से लोग खराब पानी की शिकायत कर रहे थे। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब इंदौर प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद विभाग ने पानी के सैंपल लिए थे, उनकी जांच रिपोर्ट भी सामने आई है। नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव ने इस बारे में बताया कि पानी के लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है। पानी दूषित पाया गया। वह पीने योग्य नहीं था। हालांकि पानी की कुछ और रिपोर्ट आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद अब हैजा फैलने का डर भी सताने लगा है। दूसरी तरफ घटना के तुल पकडने के बाद अब भागीरथपुरा क्षेत्र के पार्षद कमल बाघेला ने प्रशासन और सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह पूरी तरह सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। कमल बाघेला ने बताया कि उन्होंने दूषित पानी की समस्या को लेकर 3 साल पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय भी इलाके में लोगों को गंदा और बदबूदार पानी मिल रहा था। उन्होंने बताया कि नर्मदा का पानी गटर में और गटर का पानी नर्मदा में मिल रहा था। बाद में 60 प्रतिशत इलाके में नर्मदा की नई लाइन से ये ठीक हुआ, लेकिन अब भी करीब 40 प्रतिशत काम बाकी है। पार्षद कमल वाघेला ने बताया कि यह पूरी तरह सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। मैंने कई बार कहा और शिकायत की। लेकिन कहीं टेंडर नहीं हुए तो कहीं वर्क ऑर्डर नहीं हुए। अब भी मैं साफ कह रहा हूं कि 40 प्रतिशत काम बाकी है, जिसे किया जाना चाहिए। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बीजेपी पार्षद ने कहा कि सिर्फ मौखिक ही नहीं, बल्कि करीब 6 महीने पहले उन्होंने लिखित में भी संबंधित विभागों को शिकायत दी थी। शिकायत में साफ तौर पर चेतावनी दी गई थी कि

अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। दिगर बात है कि भागीरथपुरा पानी कांड मामले में अब हाई कोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कुछ अहम निर्देश दिए हैं। पहली जनहित याचिका हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईनाणी द्वारा दायर की गई, वहीं दूसरी याचिका कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने दाखिल की थी। इन याचिकाओं में दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही पीड़ितों के नि:शुल्क इलाज और उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई गई है।

लब्बोलुआब है कि इस त्रासदी का सबसे मासूम चेहरा वह छ: महीने का बच्चा है, जिसका नाम रखने से पहले ही कुदरत या प्रशासनिक लापरवाही ने उसे छीन लिया। सुनील और उनकी पत्नी ने एक बेटे के लिए 10 लंबे साल तक प्रार्थनाएँ की थीं। सुनील की कांपती आवाज इस सिस्टम की विफलता की गवाही देती है: "उसे सिर्फ दस्त और बुखार था... अचानक रात में उसने उल्टी की और वह हमें छोड़कर चला गया।" एक दशक की प्रतीक्षा का अंत महज कुछ घंटों की उल्टी-दस्त ने कर दिया। क्या उस पिता को कभी यह समझाया जा सकेगा कि उसके बेटे की जान की कीमत पाइपलाइन में घुले गंदे पानी से भी कम थी? वही 31 वर्षीय उमा कोरी की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने परिवार के साथ सामान्य भोजन किया था, लेकिन अगले दिन तड़के 3 बजे काल ने दस्तक दी। उनके पति बिहारी कोरी उन्हें बाइक पर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन अस्पताल की दहलीज नसीब होने से पहले ही उमा ने दम तोड़ दिया। 74 वर्षीय मंजुला वाधे और 50 वर्षीय सीमा प्रजापत की मौत ने यह साफ कर दिया कि यह केवल 'फूड पॉइजनिंग' का मामला नहीं था, बल्कि एक सामूहिक नरसंहार जैसी स्थिति थी, जहाँ हथियार दूषित पानी था। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने मौत का कारण 'कार्डियक अरेस्ट' बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ही इलाके के स्वस्थ लोगों के दिल अचानक एक साथ धड़कना बंद कर सकते हैं? बाद में हुई पुष्टि ने सच उजागर कर दिया-मौत की वजह वह पानी था जिसमें ड्रेनेज का जहर मिल चुका था। 'हमने सोचा था कि उन्होंने कुछ गलत खा लिया होगा; हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जो पानी हम रोज पीते हैं, वह उन्हें मार डालेगा।' स्थानीय

निवासियों का आरोप है कि नलों में बदबूदार पानी आ रहा था। शिकायतें हुई, लेकिन फाइलों के बोझ तले दबी रहीं। जब तक प्रशासन जागा, तब तक कई घर वीरान हो चुके थे। शहरों को 'स्मार्ट' बनाने का दावा करने वाले हुक्मरानों की आपसी खींचतान और भ्रष्टाचार ने जमीन के अंदर बिछी नसों (पाइपलाइनों) को सड़ा दिया है। पीने के पानी और ड्रेनेज की लाइनें आपस में मिल चुकी हैं और 'होशियार जिम्मेदार' एसी कमरों में बैठकर मीटिंग्स कर रहे हैं। सवाल है कि हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खोखला हो चुका है कि पीने के पानी और ड्रेनेज की लाइनें आपस में मिल रही हैं और इन्हें खबर ही नहीं? क्या गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? मौत के बाद 'जांच का आश्वासन' या कुछ लाख रुपर का चेक क्या उन परिवारों को इंसाफ दे पाएगा जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया? भागीरथपुरा की यह आपबीती केवल एक क्षेत्र का दर्द नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के लिए चेतावनी है जो बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने में विफल रही है। आज भागीरथपुरा रो रहा है, कल कोई और इलाका हो सकता है।

गौरतलब है कि देश के सबसे साफ शहर इंदौर का प्रशासन अगर अपने लोगों को एक वक्त का साफ पानी भी मुहैया न करा सके तो ऐसी स्वच्छता पर शर्म आती है। आजादी के 78 साल बाद भी अगर दुषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार पड़ जाए, उनकी जानें चली जाएं तो, ऐसी स्वच्छता किसी को नहीं चाहिए। 7 बार सफाई में अव्वल होने पर इंदौर को मिले तमगे का पुतला फूंक देना चाहिए, क्योंकि जनता को साफ पानी नहीं पिला सकते तो आपकी सफाई पर लानत है। जो प्रशासन और नेता इंदौर की सफाई की डींगे हांकते हुए नहीं थकते अब उन्हें अपनी गर्दनें झुका लेनी चाहिए। अपनी आस्तीनें और कॉलर को नीचे गिराकर रखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इंदौर की आम जनता से साफ पानी पीने का सबसे बेसिक और संवैधानिक अधिकार तक छीन लिया है। सबसे साफ शहर के पानी से लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी जानें जा रही हैं। दूषित पानी से बीमार 500 से अधिक लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एक बुजुर्ग और दो महिलाओं की मौत की खबर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों और नर्मदा विभाग के अफसरों की टीमें भागीरथपुरा में तैनात की गई है। इसके साथ ही अब निगम प्रशासन भागीरथपुरा में टेंकरों से साफ पानी सप्लाय कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भागीरथपुरा में करीब एक हफ्ते से 150 से ज्यादा लोगों को उल्टी और दस्त (लूज मोशन) की शिकायत थी। जब लोगों को दूषित पानी का अहसास हुआ तो कई बार नगर निगम प्रशासन को को शिकायत की, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है निगम प्रशासन के किसी नुमाइंदे के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यह घटना इंदौर को सात बार मिले स्वच्छता सम्मान पर कीचड़ के गंदे छींटे हैं। प्रशासन की लापरवाही के गहरे दाग हैं। जिसे इंदौर का जिला प्रशासन और नगर निगम

प्रशासन कितना भी धोने-साफ करने की कोशिश करेगा तो भी ये दाग छूटेंगे नहीं।

विदित हो कि इंदौर के भागीरथपुरा में एक ओर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे है। इस बीच प्रभावित क्षेत्र में भूजल के दूषित होने से अब प्रशासन की चुनौती और बढ़ गई है। ऐहतियातन प्रशासन ने 400 से अधिक निजी और 100 से अधिक सरकारी बोरिंग पर बैन लगा दिए है और क्षेत्र में पानी की सैंपलिंग कर उसकी जांच की जा रही है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता 'जलपुरुष' राजेंद्र सिंह कहते हैं कि इंदौर 8 साल से स्वच्छता में नंबर वन आ रहा था लेकिन यह सफाई केवल ऊपरी तौर पर दिखावटी थी। सबसे स्वच्छ शहर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत एक मानव निर्मित आपदा है। एक तंत्र निर्मित आपदा जिसमें दोषपूर्ण सिस्टम ने इतने सारे लोगों की हत्याएं की और इतनी बड़ी संख्या मे लोग बीमार हुए है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मरने का कारण पाइपलाइन से आने वाले साफ पानी में गंदे पानी का मिलना है। वहीं जल संरक्षण विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह कहते है कि

कान्ह नदी

भूगर्भ जल के दूषित होने का बड़ा कारण इंदौर जैसे शहरों में लंबे समय से दूषित पानी और केमिकल वॉटर को बोर कर जमीन के अंदर पहुंचा देना है। अभी तक यह दूषित पानी कान्ह नदीं में बह ही रहा था। औद्योगिक और मानवीय गतिविधियों के कारण दूषित पानी और केमिकल युक्त वॉटर को बोर कर अंदर डालने से भूजल स्तर गंभीर रूप से दूषित हो गया है और उसे रोकने के कोई उपाय नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई है और आज आज भूजल ही दूषित हो गया। जिसके परिणामस्वरूप आज ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि अब जमीन के नीचे का शुद्ध जल भंडार पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है, जिससे लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और उनके स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भागीरथपुरा जैसी आपदा को भविष्य में रोकने के लिए सरकार को जल्द से जल्द प्रदूषित (सीवेज) पाइपलाइन को पीने के पानी की पाइप लाइन से एकदम अलग करना होगा अगर यह दोनों पाइप लाइन एक साथ बहेगी तो इस तरह की त्रासदी फिर कभी न कभी होगी। इसलिए इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अगर दोनों ही पाइप लाइन अगर एक ही स्थान पर फ्लो करेगी तो भागीरथपुरा जैसी घटनाएं दोबारा होगी। दोबारा ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पाइप लाइन का सिस्टम बदलना होगा। भागीरथपुरा कांड पर राजेंद्र सिंह कहते है कि अगर देश के सबसे साफ शहर में ऐसी त्रासदी हो सकती है, तो समझा जा सकता है कि दूसरे शहरों में पेयजल आपूर्ति प्रणाली के हालात कितने गंभीर होंगे। वह कहते है कि पानी का निजीकरण और कॉर्मिशयल उपयोग के साथ पानी का बाजार बनाने के कारण ही इस तरह की घटनाएं होती है। राजेंद्र सिंह कहते है कि अब वह समय आ गया है कि सरकार को राइट टू वॉटर एक्ट पर काम कर इसको मूर्त रूप देना चाहिए। अगर इस तरह कानून नहीं बनते है तो पानी का व्यापार ही बढ़ेगा। वह कहते है कि पानी का कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होना चहिए तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी।

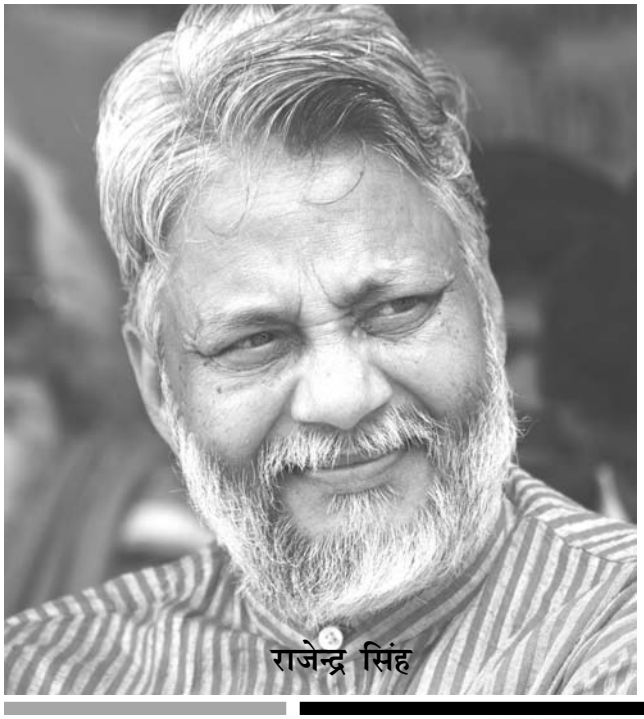
राजेन्द्र सिंह

इस तरह की घटनाएं जो सेंट्रलाइज (केंद्रीकृत) सिस्टम के कारण होती है और इसमें दोषी लग बच जाते है और उनको पकड़ना और सजा देना इतना आसान काम नहीं रहता। डिसेंट्राइलइज सिस्टम में पहले तो ऐसी गलतियां होती नहीं है और अगर गलती हो गई तो जिसकी गलत होगी उसकी पहचान कर उसे पकड़ा जा सकेगा।

गौरतलब है कि पहलगाम के कातिलों की तरह, भागीरथपुरा के जघन्य कांड के जिम्मेदारों को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। जब सरहद पार से आए कातिल हमारी खुशियों को उजाड़ते हैं, तो देश की आत्मा कांप उठती है और हम 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे अभियानों से उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाते हैं। लेकिन उस 'आतंक' का क्या, जो हमारे ही सिस्टम के भीतर सफेदपोशों और लापरवाह अफसरों के रूप में पनप रहा है? इंदौर के भागीरथपुरा में जो हुआ, वह कोई दैवीय आपदा नहीं थी; वह एक प्रशासनिक नरसंहार था। आज समय आ गया है कि हम सीमा के दुश्मनों की तरह, व्यवस्था के इन 'दीमकों' पर भी एक निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक करें। भागीरथपुरा की गलियों में बिछी मातम की चादर चीख-चीखकर पूछ रही है कि आखिर 10 साल की मन्नत के बाद आए उस छह महीने के मासूम का क्या कसूर था? उन सुहागनों और बुजुर्गों का क्या दोष था, जिन्होंने सरकार पर भरोसा करके नगर निगम के नल का पानी पिया? पहलगाम

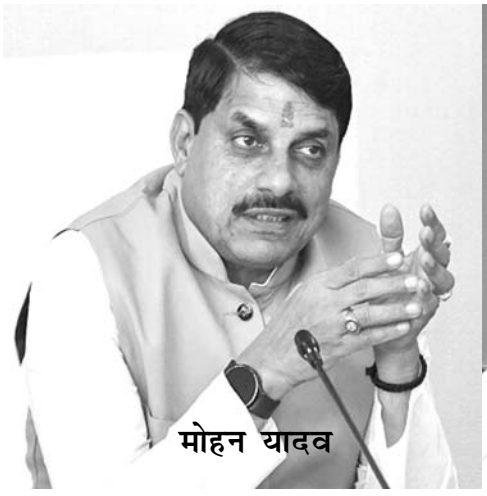
मोहन यादव

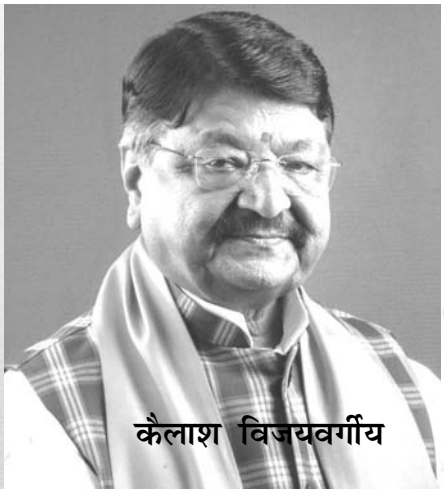
कैलाश विजयवर्गीय

पुष्यमित्र भार्गव

के कातिलों को सजा दिलाने के लिए जिस तरह पूरी ताकत झोंक दी गई थी, वैसी ही इच्छाशक्ति इंदौर में क्यों नहीं दिखती? क्या इसलिए कि यहाँ कातिल कोई विदेशी घुसपैठिया नहीं, बल्कि वह भ्रष्टाचार है जिसने पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज की लाइन को एक कर दिया? त्रासदी के बाद जनप्रतिनिधियों का आना और 'हम इसकी जांच कराएंगे' जैसे घिसे-पिटे जुमले उछालना अब जनता को बर्दाश्त नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि नेता अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ते हैं और अधिकारी बजट या तकनीकी खामियों का रोना रोते हैं। यह 'कागजी फुटबॉल' का खेल बंद होना चाहिए। उन ठेकेदारों की संपत्ति कुर्क करे जिन्होंने घटिया पाइपलाइन बिछाई। उन इंजीनियरों को सलाखों के पीछे भेजे, जिन्होंने बिना जांच के सप्लाई चालू रखी। उन जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करे जो वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन शिकायतों के वक्त गायब हो जाते हैं। प्रशासन अक्सर जांच के नाम पर समय काटता है ताकि जनता का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन इस बार मामला 'ठंडे बस्ते' में जाने लायक नहीं है। यह जघन्य कांड है। यदि हम पहलगाम के शहीदों के लिए खून खौलाते हैं, तो भागीरथपुरा के इन 'बेगुनाह शहीदों' के लिए हमारी संवेदनाएं ठंडी क्यों पड़ जाती हैं? ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर इंदौर में भी एक विशेष अभियान शुरू होना चाहिए- 'ऑपरेशन जवाबदेही'। अगली बार जब कोई अफसर या नेता कुर्सी पर बैठे, तो उसके मन में यह खौफ होना चाहिए कि यदि उसकी लापरवाही से एक भी जान गई, तो उसका करियर और सम्मान दोनों खाक हो जाएंगे। शहरों को 'स्मार्ट' बनाने का ढोंग तब तक बेमानी है, जब तक हम अपने नागरिकों को जहर-मुक्त पानी नहीं दे सकते। इंदौर को नंबर-1 का तमगा साफ-सफाई के लिए मिला है, लेकिन अब वक्त है कि इंदौर 'न्याय' और 'जवाबदेही' में भी नंबर-1 बने। भागीरथपुरा के गुनहगारों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वह नजीर बन जाए। यह सर्जिकल स्ट्राइक किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस 'सिस्टम' के खिलाफ होनी चाहिए जो इंसानी जान की कीमत चंद रुपयों के मुआवजे से आंकता है। इंसाफ में देरी, खुद में एक अपराध है। जो न्याय के लिए नहीं लड़ते, वक्त उन्हें बुजदिलों की श्रेणी में डाल देता है। भागीरथपुरा का मातम आज हर इंदौरवासी से जवाब मांग रहा है। खामोश रहकर अपनी नस्लों को कायरता विरासत में मत दीजिए। आवाज बुलंद करो! वरना आज की यह चुप्पी कल आपके खुद के घर का चिराग बुझाने की वजह बनेगी।

बहरहाल, इंदौर को लगातार सात बार स्वच्छ सर्वेक्षण में देश का नंबर वन शहर घोषित किया गया। मंचों पर नेता घंटियां बजाते रहे, पुरस्कार लेते रहे, जश्न मनाते रहे। लेकिन जब बात पीने के पानी की आई, तो पूरी व्यवस्था खोखली निकली। हकीकत यह है कि नर्मदा की मुख्य पेयजल पाइपलाइन के ठीक ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना दिया गया। लीकेज हुआ और सीवर का मलिन पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने शिकायत की थी कि पानी से बदबू आ रही थी, रंग बदला हुआ था, स्वाद अजीब था। लेकिन 'नगर निगम' के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। टेंडर महीनों पहले जारी हो चुके थे, लेकिन जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ। नतीजा, लोगों ने जहर मिला पानी पिया और उसकी कीमत अपनी जान से चुकाई। यह सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक विफलता नहीं है। यह एक गहरा नैतिक पतन है। स्वच्छता का अर्थ केवल चमकती सड़कों, दीवारों पर पेंट और कचरा उठाने तक सीमित नहीं होता। स्वच्छता का पहला और बुनियादी अर्थ है जनता को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। लेकिन यहां हाल यह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से उलझते और खेद प्रकट कर 'गलती हुई है' कहकर जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। मौतों की संख्या पर सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते। मेयर पुष्यमित्र भार्गव आंकड़ों की बाजीगरी में उलझे दिखाई देते है। इंदौर के हालत इतने खराब हो चुके हैं कि शहर के ट्रैफिक जाम, सड़क पर लोगों को कुचल देने वाले ट्रक, बदहाल सड़कों से लेकर बीआरटीएस को हटाने तक आखिरकार, हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह हस्तक्षेप अपने आप में सिस्टम की विफलता की गवाही है। ज्ञात हो कि सनातन परंपरा में जल को जीवन माना गया है। मरते हुए व्यक्ति को जल देना महापुण्य कहा गया है। लेकिन अपनी लापरवाही से जनता को विषैला पानी पिलाकर मौत की ओर धकेल देना-यह कौन सा धर्म है? जो नेता हर मंच से सनातन, संस्कृति और आस्था की बात करते हैं, राम मंदिर से लेकर धार्मिक मूल्यों तक का हवाला देते नहीं थकते, वे बताएं कि यह कैसा सनातन है, जहां "सबसे स्वच्छ शहर" में लोग गंदा पानी पीकर मर रहे हैं। यह सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है। यह उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो दिखावे की राजनीति में डूबा है, जहां पुरस्कार तो मिलते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं। इंदौर के लोगों को समझना होगा कि यह लड़ाई केवल भागीरथपुरा की नहीं है। यह पूरे शहर और पूरे प्रदेश की लड़ाई है। जवाबदेही तय होनी चाहिए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए और सबसे जरूरी, जल व्यवस्था को जड़ से सुधारना होगा। अन्यथा, घंटियां बजती रहेंगी, मंच सजते रहेंगे, पुरस्कार मिलते रहेंगे और मासूम जानें यूं ही जाती रहेंगी। स्वच्छता का असली अर्थ जीवन की रक्षा है, न कि केवल चमक-दमक का उत्सव।

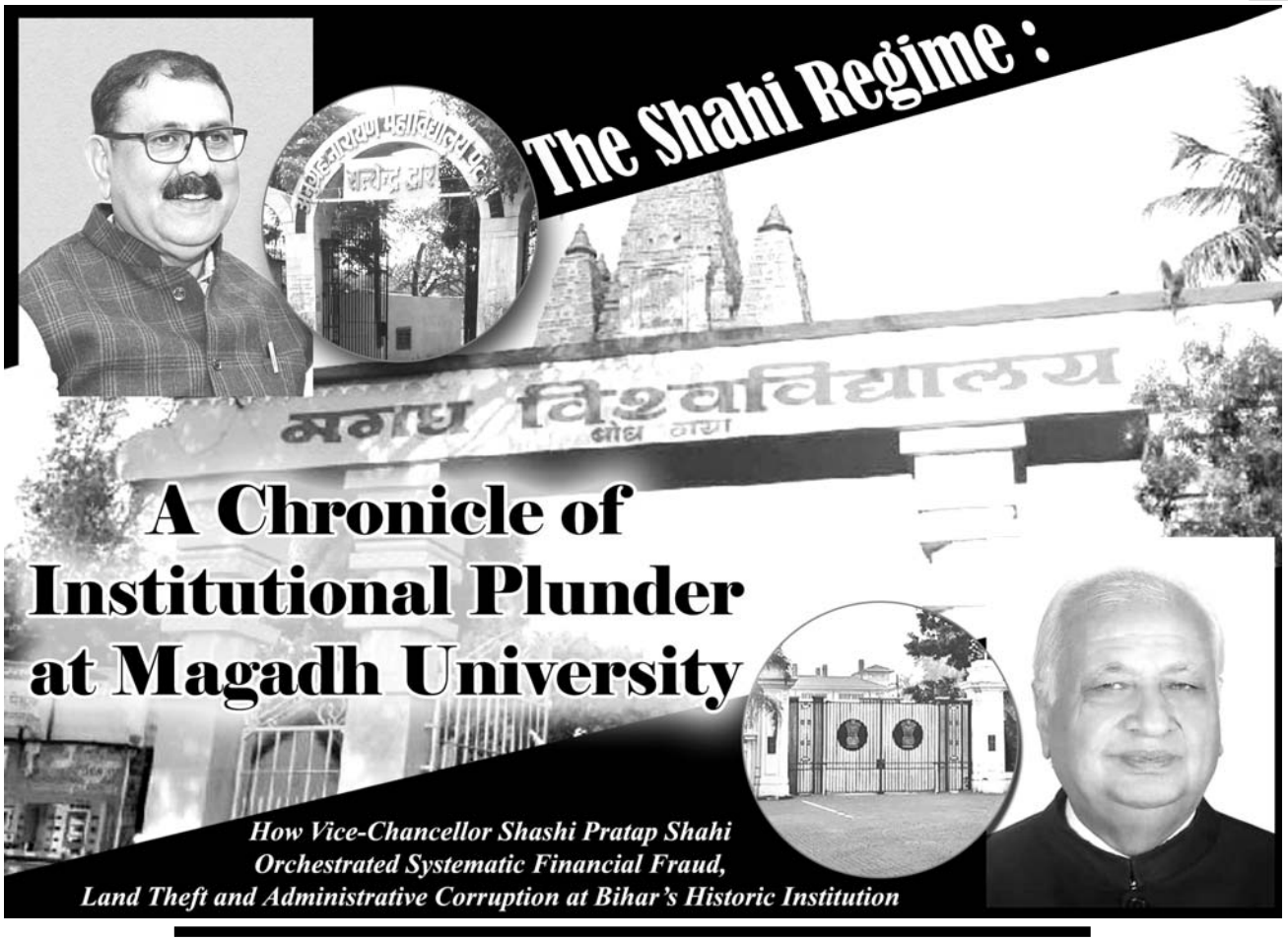


**Shashi Ranjan Singh/Rajeev Kumar Shukla**

In the annals of academic corruption in India, certain names become synonymous with the systematic destruction of public institutions. Shashi Pratap Shahi's tenure as Vice-Chancellor of Magadh University, Bodh Gaya, represents not merely administrative incompetence but a calculated enterprise of financial plunder, land grabbing facilitation, and brazen defiance of constitutional oversight. Under his watch, a university founded on principles of enlightenment and public service became a vehicle for personal enrichment and institutional decay.

This investigation reveals how Shahi, as the chief executive of Magadh University, presided over irregularities totaling hundreds of crores of rupees, systematically violated state government directives, enabled land mafias to steal university property, and created a culture of impunity that mocked every principle of academic governance. The evidence, drawn from official audit reports and documentary records, paints a portrait of leadership characterized by arrogance, greed, and contempt for accountability.

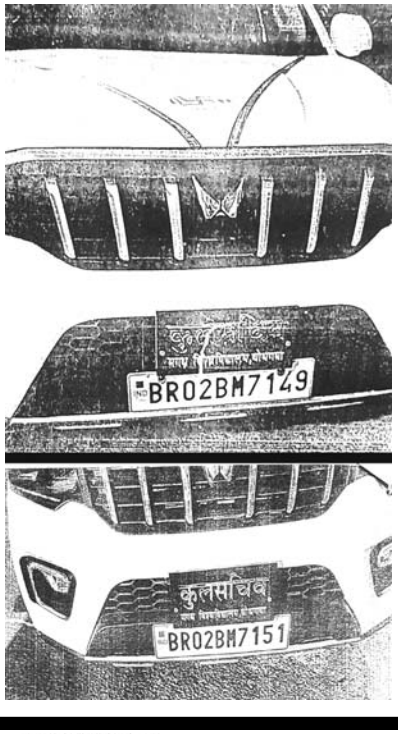


**I. The Luxury Vehicle Scandal : Shahi's Personal Fleet**

**The Rs. 44 Lakh Question**

On November 10, 2023, under Vice-Chancellor Shashi Pratap Shahi's direct authority, Magadh University purchased two Mahindra Scorpio vehicles for Rs. 43,98,899 (approximately Rs. 44 lakhs) in a transaction that violated every established procurement norm and exposed the Vice-Chancellor's operational modus operandi : rules exist for others, not for him.

The Bihar Financial Rules are unambiguous. Rule 131J mandates

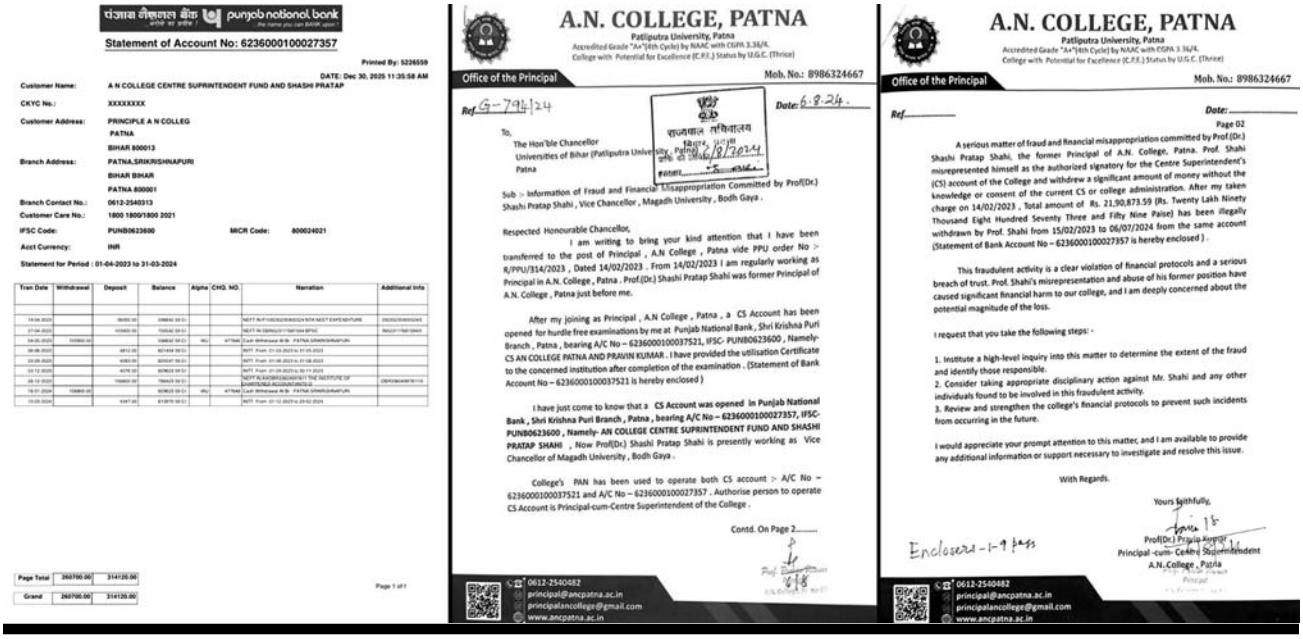

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Statement of Account No: 6236000100027357

Printed By: 5226559

DATE: Dec 30, 2025 11:35:58 AM

Customer Name: A N COLLEGE CENTRE SUPRINTENDENT FUND AND SHASHI PRATAP

CKYC No.: XXXXXXXX

Customer Address: PRINCIPLE A N COLLEG PATNA BIHAR 800013

Branch Address: PATNA,SRIKRISHNAPURI BIHAR BIHAR PATNA 800001

Branch Contact No.: 0612-2540313

Customer Care No.: 1800 1800/1800 2021

IFSC Code: PUNB0623600 MICR Code: 800024021

Acct Currency: INR

Statement for Period : 01-04-2023 to 31-03-2024

| Tran Date | Withdrawal | Deposit | Balance | Alpha | CHQ. NO. | Narration | Additional Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Page Total 260700.00 314120.00

Grand 260700.00 314120.00

Page 1 of 1



A.N. COLLEGE, PATNA

Patliputra University, Patna

Accredited Grade "A+"(4th Cycle) by NAAC with CGPA 3.36/4.

College with Potential for Excellence (C.P.E.) Status by U.G.C. (Thrice)

Office of the Principal Mob. No.: 8986324667

Ref. G-794/24 Date: 6.8.24.

To,

The Hon'ble Chancellor

Universities of Bihar (Patliputra University, Patna)

Patna

Sub :- Information of Fraud and Financial Misappropriation Committed by Prof(Dr.) Shashi Pratap Shahi , Vice Chancellor , Magadh University , Bodh Gaya .

Respected Honourable Chancellor,

I am writing to bring your kind attention that I have been transferred to the post of Principal , A.N College , Patna vide PPU order No :- R/PPU/314/2023 , Dated 14/02/2023 . From 14/02/2023 I am regularly working as Principal in A.N. College , Patna . Prof.(Dr.) Shashi Pratap Shahi was former Principal of A.N. College , Patna just before me.

After my joining as Principal , A.N College , Patna , a CS Account has been opened for hurdle free examinations by me at Punjab National Bank , Shri Krishna Puri Branch , Patna , bearing A/C No – 6236000100037521, IFSC- PUNB0623600 , Namely- CS AN COLLEGE PATNA AND PRAVIN KUMAR . I have provided the utilisation Certificate to the concerned institution after completion of the examination . (Statement of Bank Account No – 6236000100037521 is hereby enclosed )

I have just come to know that a **CS Account was opened in Punjab National Bank , Shri Krishna Puri Branch , Patna , bearing A/C No – 6236000100027357, IFSC- PUNB0623600 , Namely- AN COLLEGE CENTRE SUPRINTENDENT FUND AND SHASHI PRATAP SHAHI** , Now Prof(Dr.) Shashi Pratap Shahi is presently working as Vice Chancellor of Magadh University , Bodh Gaya .

College's PAN has been used to operate both CS account :- A/C No – 6236000100037521 and A/C No – 6236000100027357 . Authorise person to operate CS Account is Principal-cum-Centre Superintendent of the College .

Contd. On Page 2.........

6/8

0612-2540482
principal@ancpatna.ac.in
principalancollege@gmail.com
www.ancpatna.ac.in



A.N. COLLEGE, PATNA

Patliputra University, Patna

Accredited Grade "A+"(4th Cycle) by NAAC with CGPA 3.36/4.

College with Potential for Excellence (C.P.E.) Status by U.G.C. (Thrice)

Office of the Principal Mob. No.: 8986324667

Ref.............. Date:..............

Page 02

A serious matter of fraud and financial misappropriation committed by Prof.(Dr.) Shashi Pratap Shahi, the former Principal of A.N. College, Patna. Prof. Shahi misrepresented himself as the authorized signatory for the Centre Superintendent's (CS) account of the College and withdrew a significant amount of money without the knowledge or consent of the current CS or college administration. After my taken charge on 14/02/2023 , Total amount of Rs. 21,90,873.59 (Rs. Twenty Lakh Ninety Thousand Eight Hundred Seventy Three and Fifty Nine Paise) has been illegally withdrawn by Prof. Shahi from 15/02/2023 to 06/07/2024 from the same account (Statement of Bank Account No – 6236000100027357 is hereby enclosed ) .

This fraudulent activity is a clear violation of financial protocols and a serious breach of trust. Prof. Shahi's misrepresentation and abuse of his former position have caused significant financial harm to our college, and I am deeply concerned about the potential magnitude of the loss.

I request that you take the following steps: -

1. Institute a high-level inquiry into this matter to determine the extent of the fraud and identify those responsible.
2. Consider taking appropriate disciplinary action against Mr. Shahi and any other individuals found to be involved in this fraudulent activity.
3. Review and strengthen the college's financial protocols to prevent such incidents from occurring in the future.

I would appreciate your prompt attention to this matter, and I am available to provide any additional information or support necessary to investigate and resolve this issue.

With Regards.

Yours faithfully,

Enclosers - 1-9 pages

Prof(Dr.) Pravin Kumar
Principal -cum- Centre Superintendent
A.N. College , Patna

0612-2540482
principal@ancpatna.ac.in
principalancollege@gmail.com
www.ancpatna.ac.in

that purchases above Rs. 25 lakhs must be conducted through advertised tenders published in national newspapers and the Indian Trade Journal. The Finance Department's notification dated November 27, 2017, made procurement through the Government e-Marketplace (GeM) portal mandatory for all departments from April 1, 2018. These weren't suggestions—they were legal requirements binding on all public institutions, including universities headed by individuals like Shahi.

Shahi ignored every single requirement. No tender was published. No GeM portal procurement was attempted. On the very day quotations were allegedly received from A.P.R. Automobile, Gaya—quotations numbered 7835 and 7836 for Rs. 19,53,459 and Rs. 24,45,440 respectively—payment was authorized and processed. The speed suggests pre-arrangement; the absence of documentation suggests deliberate concealment.

When auditors requested basic procurement documentation—needs assessment, specification justification, competitive quotations, evaluation criteria—Shahi's administration could produce nothing. The university maintains no vehicle registry, an omission so fundamental it suggests intentional administrative blindness. Officials verbally admitted that no files exist regarding vehicle allocation or utilization—a claim that defies basic institutional governance standards.

**The Pattern of Personal Aggrandizement**

The vehicle purchase must be understood not as isolated misconduct but as emblematic of Shahi's approach to university resources: public funds exist for personal comfort. These weren't utility vehicles for campus maintenance; these were luxury SUVs—Mahindra Scorpio N models, premium variants costing nearly Rs. 20-25 lakhs each. The selection of this specific model, without documented justification, points to personal preference rather than institutional need.

More damning is what wasn't done. Shahi's administration never assessed existing vehicle availability before the purchase. Officials whose existing vehicles were allegedly inadequate were never identified. The fate of previous vehicles assigned to these officials was never documented. Most tellingly, the newly purchased vehicles were never formally entered into the university's store register—suggesting they were intended to exist in a gray zone outside normal accountability mechanisms.

The use of examination fund money for this purchase adds another layer of impropriety. Examination fees paid by students—many from economically disadvantaged backgrounds—were diverted to purchase luxury vehicles for administrators. Under Shahi's leadership, resources meant to improve academic services became instruments of administrative indulgence.

**II. The Phantom Sensor Network: Shahi's Rs. 1.27 Crore Scam**

If the vehicle purchase revealed Shahi's personal extravagance, the sensor network scandal exposed his enabling of systematic fraud. Over the course of his tenure, consultants were paid Rs. 1.27 crores for installing a campus-wide sensor system that exists primarily in invoices and payment vouchers—a technological phantom that consumed real money while delivering virtual results.

**The Consultant Network : A Web of Impunity**

Under Shashi Pratap Shahi's direct oversight as Vice-Chancellor, consultants were engaged without following any of the procedures mandated by Bihar Financial Rules for consulting services. Rule 131U requires that consulting engagements be for 'well-defined' tasks with clear deliverables and timelines. Rule 131Y mandates proper cost estimation through market research. Rule 131Z requires public advertisement for services exceeding Rs. 25 lakhs.

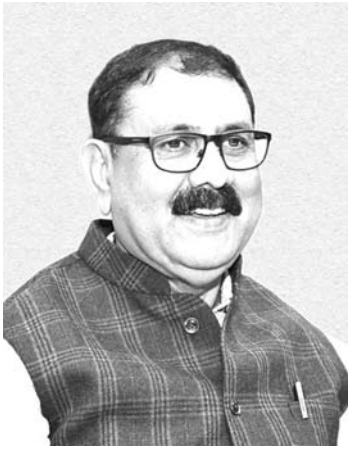

Shahi's administration ignored all these requirements. Consultants were appointed through opaque processes that left no audit trail. Scope of work was never properly defined, making it impossible to objectively assess whether deliverables were met. Cost estimates were never documented, preventing any verification of whether payments were reasonable. Most critically, the Vice-Chancellor authorized payments totaling Rs. 1.27 crores without requiring consultants to demonstrate actual work completion.

When auditors demanded proof of sensor installation—photographs, technical specifications, operational documentation, maintenance records—Shahi's administration could produce nothing substantive. Site visits revealed no functional sensor network. Technical assessments found no integrated monitoring system. Yet payment after payment had been authorized by the Vice-Chancellor's office, creating a money trail without a corresponding work trail.

**Shahi's Defense: Defiance and Deflection**

Rather than acknowledge irregularities and initiate corrective action, Shahi's response to audit findings has been characterized by deflection, obstruction, and defiance. When questioned about consultant payments, his administration claimed work was 'ongoing' or 'under technical evaluation'—responses that became increasingly hollow as months passed without tangible results.

The Vice-Chancellor's office provided no cooperation with auditors seeking basic documentation. Files went 'missing.' Officials claimed ignorance of procedures they were obligated to follow. Most tellingly, no disciplinary action was taken against any official involved in these irregular payments—suggesting the irregularities occurred with Shahi's knowledge and approval, if not at his direct instruction.

The pattern is unmistakable: Shashi Pratap Shahi created an administrative culture where consultants could extract money for phantom work, where accountability mechanisms were deliberately weakened, and where questions were met with bureaucratic stonewalling rather than transparent answers. This wasn't negligence—it was a system designed to facilitate fraud.

III. The Salary Scandal: Shahi's Violation of Governor's Orders

Perhaps no incident better illustrates Shashi Pratap Shahi's contempt for constitutional authority than his blatant disregard of explicit directives from the Governor's Secretariat regarding contractual employee compensation.

**The Governor's Clear Directive**

On February 12, 2021, the Governor's Secretariat issued Communication No. 216 to all Bihar uni-

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
बिहार लोक भवन, पटना–800022

पत्रांक –BSU(VC)-45/2019–2315 / रा.स.(I). दिनांक–12.12.2025

प्रेषक,

रॉबर्ट एल. चोंग्थू, भा.प्र.से
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

प्रो० शशि प्रताप शाही
कुलपति
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया ।

विषयः– **विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले नीतिगत निर्णय के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे सूचित करना है कि कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के रूप मे आपका कार्यकाल निकट भविष्य मे समाप्त होने की स्थिति में माननीय राज्यपाल–सह–कुलाधिपति, बिहार ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्देश देने की कृपा की है कि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय / किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण इत्यादि की कार्रवाई नहीं की जाय। इस प्रकार किसी भी नई योजना एव अन्य नए कार्य जिसमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण / निर्वहण हो रहा हो, वैसे निर्णय नहीं लिये जाय।

यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यहित में किसी प्रकार के नीतिगत / वित्तीय निर्णय लिये जाने की आवश्यकता हो तो माननीय कुलाधिपति महोदय से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय ।

अनुरोध है कि तदनुसार माननीय कुलाधिपति महोदय के उपर्युक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापाकः– BSU(VC)-45/2019–2315 / रा.स.(I). दिनांक–12.12.2025

**प्रतिलिपिः**– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापाकः– BSU(VC)-45/2019–2315 / रा.स.(I). दिनांक–12.12.2025

**प्रतिलिपिः**– राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रधान सचिव कोषाग / सबधित प्रशाखा पदाधिकारी, विश्वविद्यालय शाखा / उप निदेशक (NIC) / आई.टी. मैनेजर को राज्यपाल सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित / गार्ड फाईल ।

12.12.2025
राज्यपाल के प्रधान सचिव

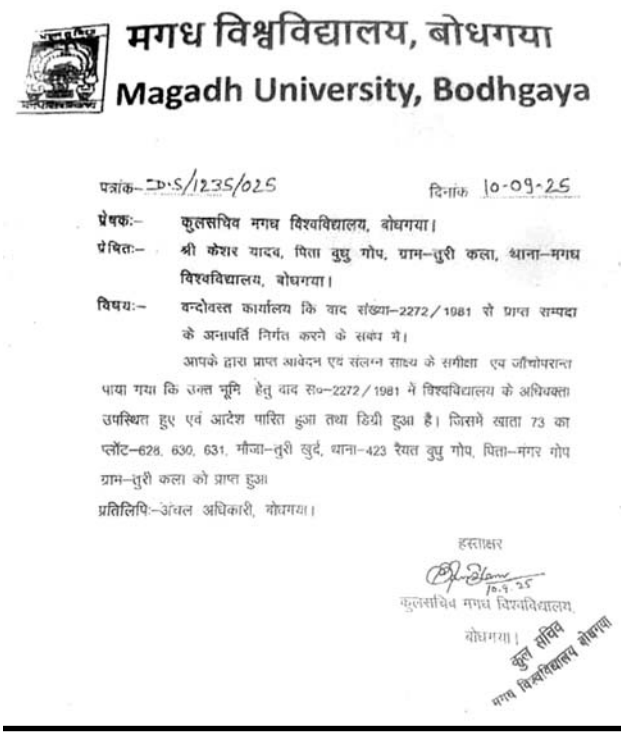

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodhgaya

पत्रांक– MU/S/1235/025 दिनांक 10-09-25

प्रेषक:– कुलसचिव मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

प्रेषित:– श्री केशर यादव, पिता बुधु गोप, ग्राम–तुरी कला, थाना–मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

विषय:– वन्दोवस्त कार्यालय कि वाद संख्या–2272/1981 से प्राप्त सम्पदा के अनापत्ति निर्गत करने के संबंध में।

आपके द्वारा प्राप्त आवेदन एवं संलग्न साक्ष्य के समीक्षा एवं जाँचोपरान्त पाया गया कि उक्त भूमि हेतु वाद सं०–2272/1981 में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं आदेश पारित हुआ तथा डिग्री हुआ है। जिसमे खाता 73 का प्लॉट–628, 630, 631, मौजा–तुरी खुर्द, थाना–423 रैयत बुधु गोप, पिता–मंगर गोप ग्राम–तुरी कला को प्राप्त हुआ।

प्रतिलिपि:–अंचल अधिकारी, बोधगया।

हस्ताक्षर
10.9.25
कुलसचिव मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

कुल सचिव
मगध विश्वविद्यालय बोधगया

versities, directing them to determine salaries for contractual re-employed retired officials according to General Administration Department Resolution No. 3/M.63/2013, dated July 10, 2015. The formula was explicit and mathematically precise : monthly honorarium equals (final salary + final dearness allowance) minus (pension + dearness relief on pension). This amount would remain fixed during the contract period.

The directive wasn't ambiguous. It wasn't optional. It came from the Chancellor's office—the highest constitutional authority over the university. For any Vice-Chancellor respecting institutional hierarchy and legal mandates, compliance would be automatic.

**Shashi Pratap Shahi simply ignored it.**

**The Indra Kumar Singh Appointment: A Case Study in Defiance**

When Shri Indra Kumar Singh was appointed Finance Officer on contract on February 1, 2023, through Governor's Secretariat Communication No. 183/GS(I), the letter explicitly stated he was being appointed 'on usual approved terms & conditions of re-appointment on contract basis.' The extension granted on February 16, 2024, through Communication No. 287, reiterated that the extension was 'on contract basis.'

Yet on April 25, 2023, under Shashi Pratap Shahi's authority, Magadh University issued Notification No. 23 fixing Singh's salary in Pay Band 15600-39100 with Grade Pay 7600 (Pay Level 12 under 7th CPC) at Rs. 78,800, plus full dearness allowance and all other allowances as per state government rules. This wasn't contractual honorarium calculated per the Governor's formula—this was full regular salary treatment, potentially worth lakhs of rupees more than the legal entitlement.

Shahi's administration never submitted the information required to apply the mandated formula: Singh's pre-retirement final salary, his pension amount, or his dearness relief on pension. This omission wasn't accidental—it was necessary to conceal that the compensation being provided vastly exceeded legal limits.

**The Deeper Corruption: Buying Loyalty, Undermining Oversight**

The significance of this violation extends beyond the financial amount. The Finance Officer is the institution's chief financial watchdog, responsible for ensuring all expenditures comply with rules and regulations. By providing the Finance Officer with illegal compensation benefits, Shashi Pratap Shahi effectively compromised the primary internal check on his own financial misconduct.

A Finance Officer receiving improper benefits cannot objectively scrutinize improper vehicle purchases. He cannot question phantom consultant payments. He cannot enforce procurement rules the Vice-Chancellor chooses to ignore. The salary irregularity wasn't just about money—it was about neutering accountability, ensuring that the one official positioned to detect and prevent Shahi's other irregularities had personal incentives to look the other way.

This pattern—providing illegal benefits to key officials to secure their complicity—appears repeatedly in Shahi's tenure. It represents sophisticated corruption: creating a network of officials who benefit from irregularities and therefore have stakes in maintaining the system that enables them.

**IV. The Land Mafia Nexus: Shahi's Greatest Betrayal**

If financial irregularities represent theft from the present, the land encroachment enabled under Shashi Pratap Shahi's watch represents theft from future generations. The systematic disappearance of Magadh University's land—donated by farmers and the Bodh Gaya Math in 1962 for educational purposes—constitutes perhaps the most grievous aspect of his tenure, combining administrative negligence with what evidence suggests may be active complicity.

**The Sacred Trust Violated**

When approximately 400 acres were donated to establish Magadh University, donors envisioned an expanding institution serving generations of students. That land represented not just real estate but a com-

pact between present and future—a sacrifice by one generation to create opportunities for countless others. As Vice-Chancellor, Shashi Pratap Shahi inherited the solemn duty to protect this legacy.

Instead, he presided over its systematic plunder. Acres of university land have been encroached upon, plotted, and sold while Shahi occupied the highest administrative position in the institution. The mechanisms enabling this theft reveal not mere negligence but a pattern suggesting deliberate facilitation.

**The Sripur Tand Scandal: Shahi's Direct Involvement**

The case of Sripur Tand land exemplifies the depth of administrative malfeasance under Shahi's leadership. Land adjacent to campus, originally allocated for a golf club, became entangled in a scheme involving nominal allocation to Mahadalit families while actually being grabbed by land mafias. Commercial activities proliferated on university property, culminating in a water park—an absurdity so brazen it mocked any pretense of administrative oversight.

Throughout this process, Shashi Pratap Shahi, as Vice-Chancellor, took no meaningful action. Documents that should have been prepared weren't. Legal proceedings that should have been initiated weren't. Court appearances that should have been made weren't. When the scandal finally reached the Governor's office and forced Shahi's predecessor to resign, knowledgeable observers noted that the Registrar's office—directly under the Vice-Chancellor's supervision—bore primary responsibility for the administrative failures that enabled the land theft.

Rather than learning from this scandal, Shahi

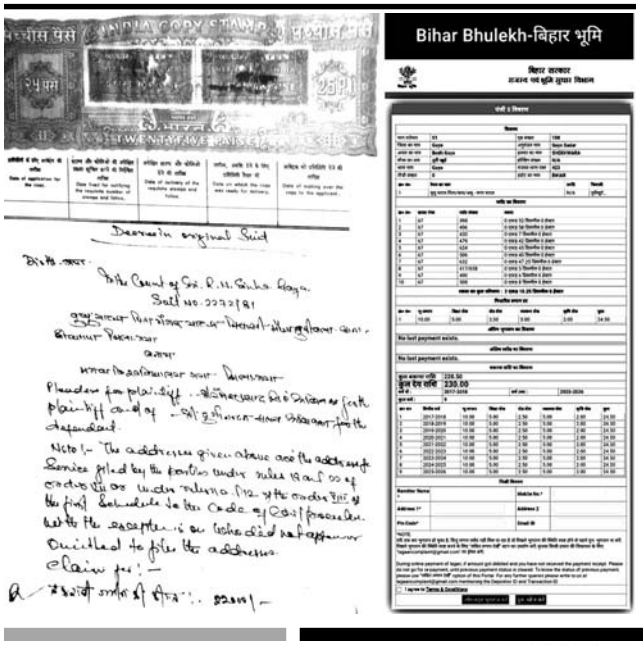


appears to have perfected the system. Under his tenure, the pattern continued: court notices 'lost' in bureaucratic processes, no university representatives appearing at hearings, ex-parte judgments obtained by encroachers, land transferred and sold before the university could react.

**The Administrative Architecture of Land Theft**

The consistency of administrative failures under Shahi's watch suggests they aren't failures at all but features.

**Consider the pattern :**

Despite repeated audit recommendations, Shahi's administration never completed comprehensive land surveys or digital mapping of university property. Without accurate records, encroachments become difficult to detect and impossible to prosecute effectively.

The university maintains no systematic boundary demarcation or fencing. Vulnerable parcels remain unmarked and unprotected, inviting encroachment. When previous Vice-Chancellors attempted boundary wall construction, progress was slow and incomplete. Under Shahi, even these minimal protective efforts appear to have ceased.

The Property Officer position—critical for land protection—has seen frequent turnover, preventing consistent oversight. No permanent legal cell exists to monitor land litigation. When court notices arrive, they disappear into the Registrar's office, which operates under the Vice-Chancellor's authority.

Most damningly, when auditors requested lists of university land holdings and pending litigation, Shahi's administration claimed verbally that no such documentation exists—an assertion so administratively absurd it suggests deliberate information suppression.

This systematic absence of basic land protection mechanisms under Shahi's leadership creates an environment where encroachment thrives. Land mafias operate with impunity because they know university administration—headed by Shahi—will not effectively contest their claims. Fake documents proliferate because verification systems don't exist. Ex-parte judgments multiply because no one appears in court to defend university interests.

**The Lodhwe and Fatehpur Cases: Emblematic Negligence**

Land at Lodhwe area near Fatehpur, approximately 30 kilometers from Bodh Gaya, has faced ongoing encroachment complaints during Shahi's tenure. Similarly, multiple acres adjacent to the main campus have been plotted and sold. In each case, the Vice-Chancellor's office took no proactive measures to pre-

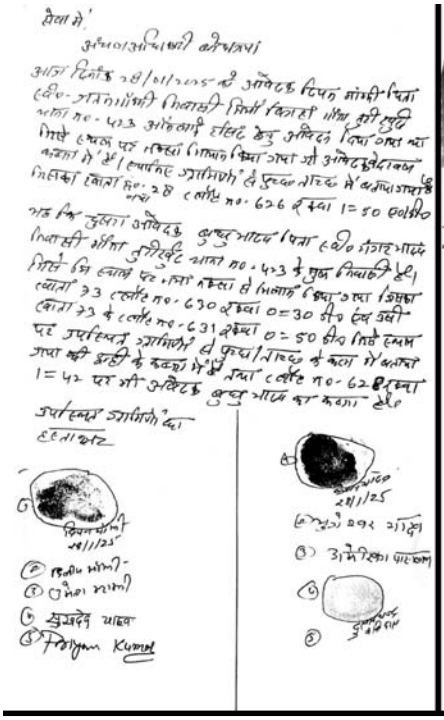

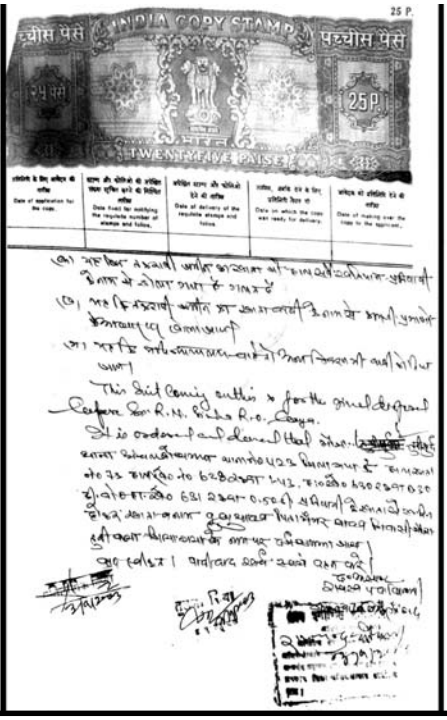


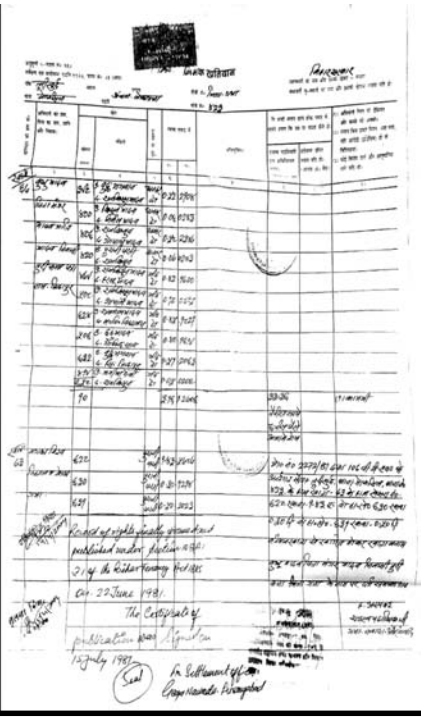

vent theft and inadequate reactive measures once theft was detected.

The question must be asked: Is Shashi Pratap Shahi merely incompetent, or is he complicit? The evidence suggests the latter. Incompetence would manifest as occasional failures in an otherwise functional system. What we observe instead is systemic dysfunction so comprehensive that it appears designed to facilitate land theft rather than prevent it.

**V. The Culture of Impunity: Shahi's Administrative Philosophy**

The various scandals during Shashi Pratap Shahi's tenure—vehicle purchases, consultant payments, salary irregularities, land encroachment—might appear as discrete incidents. They're not. Together, they reveal a consistent administrative philosophy: rules are obstacles to be circumvented, oversight is interference to be resisted, and accountability is a threat to be neutralized.

**Shahi's Response to Audit Findings**

When confronted with documented irregularities, a responsible administrator acknowledges problems, initiates corrective action, and implements preventive measures. Shashi Pratap Shahi's response has been starkly different: deny, deflect, and delay.

Audit observations are met not with cooperation but with obstruction. Documentation requests are answered with claims that files are missing or were never created. Questions about procurement violations receive responses claiming ignorance of procedures that any Vice-Chancellor should know. Inquiries about land protection elicit verbal assertions that no systematic records exist—statements that would be embarrassing for a village panchayat, let alone a major university.

Most tellingly, despite overwhelming evidence of systemic irregularities, Shahi has initiated no disciplinary proceedings against any official. This absence of internal accountability isn't oversight—it's policy. When irregularities are rewarded rather than punished, when complicit officials are protected rather than investigated, it signals that the irregularities occur with leadership's knowledge and approval.

**The Defiance of Constitutional Authority**

Shahi's disregard of the Governor's Secretariat directive on contractual salaries reveals his fundamental attitude toward constitutional hierarchy. The Governor is the university's Chancellor—the highest authority in its administrative structure. Directives from the Governor's office aren't suggestions to be considered; they're orders to be implemented.

Yet Shahi treated explicit instructions from his constitutional superior as irrelevant. This isn't just administrative impropriety—it's an attack on the very structure of institutional governance. If Vice-Chancellors can simply ignore Chancellor's directives when inconvenient, the entire framework of university oversight collapses. Shahi's defiance sets a precedent that undermines not just Magadh University but the governance structure of Bihar's entire university system.

**The Ecosystem of Corruption**

Corruption at Shahi's level doesn't happen in isolation—it requires an enabling ecosystem. The Vice-Chancellor has cultivated a network of officials who benefit from the system of irregularities and therefore have incentives to maintain it :

The Finance Officer receiving illegal salary benefits has reasons to overlook irregular expenditures. The Registrar's office staff who 'misplace' court notices may be protecting their positions or receiving considerations.

The consultants receiving payment for phantom work become stakeholders in Shahi's continued tenure.

The suppliers selected without competitive bidding have motivations to ensure the Vice-Chancellor's protection.

This is sophisticated institutional corruption—creating a web of mutual dependence where irregularities become normalized, where questioning the system threatens everyone's benefits, and where collective self-interest prevents individual accountability.



दैनिक भास्कर पटना 27-09-2025

भास्कर इन्वेस्टिगेशन | जिन 61 कॉलेजों को दी संबद्धता, उनमें से कई जमीन पर ही नहीं

**जंगल में बोर्ड, न बिल्डिंग न क्लासरूम, एमयू ने दे दी डिग्री कॉलेज की संबद्धता**

अतुल प्रकाश | पटना

औरंगाबाद के हसपुरा में जंगल में सर्वोदय डिग्री महाविद्यालय का एक साइन बोर्ड लगा है। जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर एक टेंट है। इसमें दो कर्मी लैपटॉप लेकर बैठे दिख जाएंगे। मगध विश्वविद्यालय ने इसे हाल ही में डिग्री कॉलेज की संबद्धता दी है। भास्कर ने ग्राउंड पर जाकर जब पड़ताल की तो वहां 2 जनवरी 2025 को कॉलेज के शिलान्यास का शिलापट्ट लगा था। इसपर शिलान्यासकर्ता के तौर पर एमयू के कुलपति डॉ. शशि प्रताप शाही का नाम लिखा है। कॉलेज कहां है? पूछने पर कर्मियों ने टेंट दिखाकर कहा-यही है।

दरअसल मगध विवि ने वर्ष 2025 में करीब 61 कालेजों को संबद्धता (एफिलिएशन) दी है। इनपुट था कि कई ऐसे कॉलेज हैं जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। भास्कर की टीम ने औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और अरवल में ग्राउंड पर जाकर दस से अधिक कॉलेजों की पड़ताल की। पता चला कि कई कॉलेज सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। एडमिशन भी चल रहा है, लेकिन वास्तव में उनकी न तो बिल्डिंग बनी है और न ही वहां पढ़ाई की कोई व्यवस्था है। ऐसे कॉलेज भी मिले जिनके संचालक ने स्कूल की बिल्डिंग में ही डिग्री कॉलेज की मान्यता ले ली। दूसरी तरफ एमयू के वीसी डॉ.शशि प्रताप शाही ने शुक्रवार को कहा कि वे सर्वोदय डिग्री कॉलेज औरंगाबाद में शिलान्यास के लिए नहीं गए थे। अगर उन्होंने मेरे नाम का शिलापट्ट लगाया है तो गलत किया है। जो कॉलेज धरातल पर ही हैं उन्हें कैसे संबद्धता मिल जाती है के सवाल पर उन्होंने कहा कि टीम जाती है और जो रिपोर्ट देती है उसके आधार पर ही दिया जाता है। ऐसे कॉलेजों पर कार्रवाई होगी। भास्कर की पड़ताल में कई और कॉलेज मिले। अरवल में डॉ.रामनारायण प्रसाद

**जनवरी में वीसी ने किया शिलान्यास, अब टेंट में मिल गई संबद्धता**

शिलापट्ट पर एमयू के वीसी का नाम, टेंट में चल रहा सर्वोदय डिग्री कॉलेज का ऑफिस।

**क्या है मामला**

बिहार में निजी कॉलेजों को मगध विवि से संबद्धता देने का बड़ा खेल चल रहा है। विवि ऐसे कॉलेजों को भी संबद्धता दे रहा है जो मापदंड पर खरे भी नहीं उतर रहे। कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास न भवन है और न ही शिक्षक, इसके बावजूद वहां एडमिशन चल रहा है। मान्यता देने के पहले इन कॉलेजों का विवि ने निरीक्षण भी कराया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर इन्हें संबद्धता दी गई है।

**कॉलेज के कर्मी ने कहा-हमारे ओनर दैनिक भास्कर के एडिटर**

केस 1

• सर्वोदय डिग्री महाविद्यालय, बिरहास, हसपुरा, औरंगाबाद- कॉलेज सुधीर सिंह नाम के व्यक्ति का है जो इस कॉलेज के सचिव भी हैं। कॉलेज के नाम पर यहां एक बोर्ड और एक टेंट लगा है। यहां टेंट में बैठे दो कर्मी मिले। कॉलेज के बारे में पूछने पर टेंट दिखाकर कहा- फिलहाल यही कॉलेज है। पढ़ाई कहां होगी? के सवाल पर कहा-बिल्डिंग बन रही है। बनते ही पढ़ाई होने लगेगी। टेंट के बगल में ही शिलान्यास का शिलापट्ट मिला। उसपर एमयू के वीसी डॉ.शशि प्रताप शाही का नाम लिखा था। नीचे सुधीर सिंह का नाम था। वहां मौजूद कर्मी ने कहा कि सुधीर ही ओनर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सुधीर सिंह पत्रकार हैं। भास्कर की टीम ने जब पूछा कि किस अखबार में हैं तो कर्मी ने बेधड़क कहा-पटना में दैनिक भास्कर के एचओडी हैं... फिर कहा-एडिटर हैं।

केस 2

• गौतम बुद्ध महाविद्यालय, बेलागंज, गया: पड़ताल के दौरान पता चला कि कॉलेज अभी कागज पर ही चल रहा है। ललन प्रसाद यादव कॉलेज के प्रिंसिपल उसे चला रहे हैं। रामपुर रोड के मुबारकपुर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ढलाई के लिए छड़ बांधे जा रहे थे। कुछ कमरों के ऊपर पेंट से क्लासरूम और प्रिंसिपल लिखा था।

केस 3

• रामभजन पासवान महाविद्यालय, गुरारू, गया: यहां एक पुराना घर है। दरवाजे मिट्टी में धंस कर जाम हो गए हैं। दीवारें टूट रही हैं। बाउंड्री पर कॉलेज का नाम लिखा है। इस घर में कुछ लोग रहते हैं। वहां मौजूद एक युवक और एक बुजुर्ग मिले। उन्हें पता था कि कॉलेज को संबद्धता मिल गई है, पर पढ़ाई कहां और कब शुरू होगी किसी को नहीं पता।

केस 4

• श्री.एस.ज्ञान गंगा महाविद्यालय, टिकारी, गया: यहां एक ही बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर ज्ञान गंगा एकेडमी नाम से स्कूल है और ठीक उसके ऊपर कॉलेज का बोर्ड लगा है। स्कूल के क्लास रूम को ही कॉलेज के तौर पर दिखाया जा रहा है। कॉलेज वाले फ्लोर के सभी किसी भी कमरे में कुछ भी नहीं था। हालांकि एडमिशन चल रहा है।

महाविद्यालय का पता चला। काफी खोजने पर टूटे-फूटे मकान में कॉलेज मिला। वहां तक पहुंचने के लिए धान के खेत के बीच से आरी पर चलकर जाना होता है। रास्ते में दो छात्र भी मिले। पूछने पर कहा-एडमिशन तो ले लिया, टीचर ही नहीं है।-शेष पेज-17

वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

**VI. The Broader Implications: Shahi as Symptom and Disease**

While Shashi Pratap Shahi's misconduct is individual, its significance extends beyond one corrupt administrator. His tenure illuminates systemic vulnerabilities in India's higher education governance that allow individuals like him to capture institutions and operate them as personal fiefdoms.

**The Appointment Process: How People Like Shahi Reach Power**

The question must be asked: How did someone demonstrating such consistent contempt for rules and oversight become Vice-Chancellor of a major university? The answer reveals structural weaknesses in university leadership selection. Too often, Vice-Chancellor appointments prioritize political connections over academic credentials, administrative compliance over educational vision, personal loyalty over institutional commitment.

Shahi's appointment and retention despite mounting evidence of misconduct suggests that those who selected him either failed to conduct due diligence or actively chose someone who would operate the university without excessive concern for rules and regulations. Either possibility is damning: incompetence or complicity in the appointment authority.

**The Oversight Vacuum: Why Shahi Operates with Impunity**

Effective governance requires multiple layers of oversight—internal audits, executive councils, academic senates, government monitoring, public scrutiny. At Magadh University under Shahi, each layer appears compromised or ineffective :

Internal audit mechanisms have been neutered through the cultivation of complicit officials.

The Executive Council, which should provide checks on Vice-Chancellor authority, appears either unaware of irregularities or unwilling to confront them.

The Academic Senate focuses on academic matters while administrative looting proceeds unchecked.

State government oversight is sporadic and reactive rather than systematic and preventive.

The Governor's office, despite being the Chancellor's office with ultimate authority, appears to receive information only after scandals reach crisis proportions—by which time damage is already done and accountability difficult to establish.

This oversight vacuum allows administrators like Shahi to operate for years without meaningful accountability, accumulating violations that individually might be explained away but collectively reveal systematic corruption.

**The Institutional Cost: Beyond Financial Loss**

The damage Shashi Pratap Shahi has inflicted on Magadh University extends far beyond the crores of rupees misappropriated or the acres of land lost. His tenure has poisoned the institutional culture, creating precedents that will take decades to overcome :

Faculty who witness administrative corruption

become cynical about institutional mission, focusing on personal survival rather than educational excellence.

Students learning in an environment of normalized corruption absorb lessons about how institutions actually work—lessons that undermine democratic values and ethical behavior.

Honest officials who might resist corruption are demoralized by seeing wrongdoing rewarded and integrity punished.

The broader community loses faith in public institutions, contributing to the social corrosion that undermines democratic governance.

Perhaps most tragically, Shahi's regime mocks the vision of those who established Magadh University. When President Radhakrishnan laid the foundation stone in 1962, he envisioned an institution that would serve as a beacon of enlightenment in the Magadh region. Under Shahi's leadership, it has become a case study in institutional degradation—a cautionary tale rather than an inspirational example.

**VII. The Path Forward : Accountability and Reform**

Documentation of Shashi Pratap Shahi's misrule is necessary but insufficient. The crucial question is what happens next—whether his misconduct is confronted and remedied, or whether it becomes another instance of administrative wrongdoing that produces temporary outrage but no lasting accountability.

**Immediate Actions Required**

The Governor, as Chancellor of Magadh University, must immediately :

Suspend Shashi Pratap Shahi from the position of Vice-Chancellor pending investigation of documented irregularities. His continued presence in office while facing such serious allegations makes mockery of accountability.

Constitute a high-level independent investigation committee including technical experts, financial oversight officials, independent engineers, cybersecurity specialists, and legal experts to comprehensively examine all transactions during Shahi's tenure.

Order immediate halt to all irregular expenditures and contractual payments until proper processes are established and verified.

Initiate recovery proceedings for all misappropriated funds, starting with the ¹ 44 lakh vehicle purchase irregularity and ¹ 1.27 crore consultant payment scandal.

Correct the Finance Officer salary irregularity immediately, aligning compensation with Governor's Secretariat directives and recovering excess payments. Commission emergency comprehensive land survey and legal review of all pending litigation, with authority to engage necessary technical and legal resources.

Most critically, pursue legal action against Shashi Pratap Shahi personally. The evidence of his role in these irregularities—through direct authorization, administrative negligence, or deliberate obstruction—warrants criminal investigation. Without personal consequences for those who plunder public institutions, the cycle of corruption continues.

**Structural Reforms to Prevent Future Shahis**

Beyond punishing Shahi's misconduct, systemic reforms must prevent similar individuals from capturing university administration in the future :

Reform Vice-Chancellor appointment processes to prioritize academic credentials, administrative integrity, and demonstrated commitment to institutional governance over political connections.

Establish mandatory quarterly reporting by Vice-Chancellors to the Chancellor's office on key metrics: procurement compliance, land protection status, audit finding responses, and financial irregularity investigations.

Create independent audit cells reporting directly to the Chancellor rather than the Vice-Chancellor, eliminating conflicts of interest.

Mandate complete digitization of procurement, land records, and asset management with public online portals providing transparency.

Establish protected whistleblower mechanisms allowing faculty, staff, and students to report irregularities without fear of retaliation from Vice-Chancellor offices.

Require third-party annual audits by reputable

independent firms, with reports submitted directly to Chancellor and made public within 90 days.

Strengthen Executive Council oversight powers, ensuring Vice-Chancellors cannot make major financial or administrative decisions without council approval and documentation.

**The Question of Political Will**

All these recommendations—immediate accountability for Shahi, structural reforms to prevent future corruption—depend on one factor: political will. Do those with authority to act possess the courage to confront entrenched interests, disrupt comfortable arrangements, and face resistance from networks benefiting from current dysfunction?

History suggests pessimism may be warranted. Too often, Indian administrative scandals follow a predictable arc : revelations, outrage, promises of action, bureaucratic delays, transfer of accused officials, and eventual amnesia as attention moves to new crises. Shashi Pratap Shahi may calculate that he merely needs to survive the current scrutiny, after which business can resume as usual.





मगध विश्वविद्यालय
बोधगया
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बो माउंग म्यिंट, जिन्होंने अगस्त, 2024 में आयोजित मानविकी संकाय मानद डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री (दर्शनशास्त्रज्ञ उपाधि) के लिए "म्यांमार में शैक्षिक सुधार: दो तकनीकी विश्वविद्यालयों का विश्लेषण" पर शोध (थीसिस) प्रस्तुत की थी और परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें आज डिग्री के लिए प्रवेश दिया गया है।

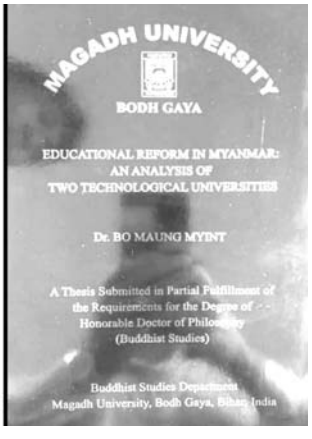

MAGADH UNIVERSITY
BODH GAYA

This is to certify that Mr. BO MAUNG MYINT who submitted the research thesis on "EDUCATIONAL REFORM IN MYANMAR: AN ANALYSIS OF TWO TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES" for the degree of Hony Doctor Of Philosophy in the faculty of Humanities held in the Month of August, 2024 and passed the examination, is admitted this day to the degree.

MAGADH UNIVERSITY, BODH-GAYA

Vice Chancellor



MAGADH UNIVERSITY
BODH GAYA

EDUCATIONAL REFORM IN MYANMAR:
AN ANALYSIS OF
TWO TECHNOLOGICAL UNIVERSITIES

Dr. BO MAUNG MYINT

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Honorable Doctor of Philosophy
(Buddhist Studies)

Buddhist Studies Department
Magadh University, Bodh Gaya, Bihar, India

But this time must be different. The evidence is too comprehensive, the violations too egregious, the damage too severe. If Shahi escapes accountability despite documented proof of irregular vehicle purchases, phantom consultant payments, defiance of Governor's directives, and enabling land theft, it will send an unmistakable message to every university administrator in Bihar: rules don't matter, oversight is theater, and corruption pays.

**VIII. Conclusion: The Judgment of History**

Bodh Gaya, where Magadh University stands, is not just another location—it is a place of profound historical and spiritual significance. Here, 2,500 years ago, the Buddha achieved enlightenment by confronting uncomfortable truths about suffering and its causes. The enlightenment came not through comfortable delusions but through rigorous examination of reality. The crisis of Shashi Pratap Shahi's tenure demands similar honest confrontation. This is not about one corrupt administrator—India has no shortage of those. This is about whether institutions established to serve public good can be reclaimed from those who capture them for private benefit. It's about whether constitutional authority means anything when systematically defied. It's about whether future generations will inherit the educational infrastructure their grandparents sacrificed to create.

Shashi Pratap Shahi's legacy is already written in the audit reports documenting irregular expenditures, in the missing land that should have served future students, in the normalized culture of corruption that will take years to overcome. The question now is what legacy his superiors will leave—those with authority to act but who must choose whether to exercise it.

The Governor, as Chancellor, faces a defining choice. Acting decisively against Shahi—suspending him, investigating thoroughly, pursuing accountability—would signal that constitutional authority has meaning, that public trust has value, that institutions matter more than individuals. Failing to act, or acting symbolically while allowing substantive corruption to continue, would confirm that power insulates wrongdoing, that oversight is performance rather than protection, that cynicism about institutions is justified.

For Magadh University's students—present and future—the stakes are existential. They didn't choose to study at an institution compromised by corruption. Many come from families that sacrificed considerably to afford even subsidized higher education. They deserve better than a university where resources meant for their education are diverted to luxury vehicles, where land that should expand academic facilities is stolen by mafias, where the very officials responsible for their welfare operate systems of systematic fraud.

For the farmers and Bodh Gaya Math who donated land in 1962, trusting that it would serve educational purposes for generations, Shahi's regime rep-

resents betrayal. Their sacrifice was premised on good faith—that those entrusted with institutional stewardship would honor that trust. Instead, they witnessed that trust systematically violated, their gift plundered, their vision mocked.

For India's broader project of building world-class educational institutions, the Shahi case is a stress test. If documented evidence of systematic corruption, defiance of constitutional authority, and theft of institutional resources cannot trigger meaningful accountability, then all the ambitious rhetoric about educational excellence is exposed as hollow. World-class institutions require world-class governance—transparency, accountability, respect for rules, commitment to mission. They cannot be built by administrators who treat universities as personal fiefdoms to be exploited.

The mirror that Magadh University holds up to Indian higher education reflects uncomfortable truths. But mirrors serve a purpose—they show us reality so we can choose to change it. The question is whether we possess the courage to look honestly at what the mirror shows, to acknowledge the gap between our aspirations and achievements, and to do the difficult work of institutional reform.

***Based on official audit documentation and investigative records regarding Magadh University, Bodh Gaya, Bihar, during the tenure of Vice-Chancellor Shashi Pratap Shahi. All factual allegations are derived from documented sources; analysis represents independent assessment of evidence and institutional patterns.***

Shashi Pratap Shahi's time as Vice-Chancellor will eventually end, one way or another. The consequential question is what happens after—whether his removal (if it occurs) triggers genuine reform or merely makes space for another individual to operate similar systems of corruption with greater discretion. Whether the structural vulnerabilities that enabled his misconduct are addressed or left intact for future exploitation. Whether accountability is pursued seriously or performed symbolically.

These choices will determine not just Magadh University's trajectory but signal to every public institution in Bihar—and beyond—whether institutional integrity matters, whether constitutional authority has teeth, whether public service is calling or merely cover for private enrichment.

History will judge not only Shashi Pratap

Shahi's misdeeds but also the response to them. The Buddha's enlightenment in Bodh Gaya came from confronting suffering's causes with clear eyes and moral courage. The institutional enlightenment Magadh University desperately needs requires similar clarity and courage—to see corruption honestly, to name it explicitly, to confront it decisively, and to build systems that prevent its recurrence.

The farmers who donated land believed in education's transformative power. The students who enroll despite dysfunction still believe universities can open paths to better lives. The faculty who remain committed to teaching despite administrative chaos still believe in knowledge's value. These beliefs—stubborn, perhaps naive, but essential—are the foundations on which better institutions can be built.

But foundations require architects willing to build upon them. The question facing Bihar's educational leadership is whether they will rise to that challenge—holding Shashi Pratap Shahi accountable, implementing reforms that prevent future plunder, and rebuilding trust in institutions that serve rather than exploit.

The moment demands not just administrative action but moral clarity. This is not about one corrupt official—India has weathered many. This is about whether we collectively possess the will to defend institutional integrity against those who would corrupt it, to protect public resources against those who would steal them, and to honor the sacrifices of previous generations who built these institutions believing their children deserved better.

**That judgment of Shashi Pratap Shahi's misconduct and of the response to it awaits.**

## FSL रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि

# कपड़ों पर मिले 'सीमेन' के अंश

● अमित कुमार

राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश NEET छात्रा का संदेहास्मत मौत से आक्रोश से जुझ रहा है। बता दें कि जहानाबाद की रहने वाली 18 वर्षीय छात्रा पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कोचिंग कर रही थी। इस महीने की शुरुआत में वह अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी 2026 को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शुरू से ही यौन शोषण और हत्या का आरोप लगाया था, जबकि पुलिस इसे बीमारी और नींद की गोलियों के सेवन से जुड़ी आत्महत्या बता रही थी। पटना एम्स के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि विशेष जांच दल ने अभी तक उन्हें मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। बहरहाल, छात्रा की मौत के मामले में एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मोड़ आया है। छात्रा के कपड़ों के फोरेंसिक विश्लेषण (FSL Analysis) में 'सीमेन' (Semen) के अंश पाए गए हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। यह रिपोर्ट उन शुरुआती दावों को खारिज करती है, जिसमें यौन हिंसा की बात को नकारा जा रहा था। एसएसपी कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक मृतका के परिजनों द्वारा दिए गए कपड़ों को जब्त कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा गया था। रिपोर्ट में छात्रा के अंतर्वस्त्रों पर मानव शुक्राणु (Sperm) के अवशेष मिले हैं। यह वैज्ञानिक साक्ष्य पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के उन तथ्यों से मेल खाते हैं, जिसमें निजी अंगों पर चोट और शरीर पर नाखूनों के खरोंच के निशान पाए गए थे। पुलिस अब इस नमूने से DNA प्रोफाइल तैयार कर रही है, जिसका मिलान हिरासत में लिए गए आरोपियों और संदिग्धों से किया जाएगा। वही मीडिया खबरों के मुताबिक मामले में शुरुआती कोताही और ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में पटना पुलिस ने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया। निलंबित होने वालों में कदमकुआं थाने के अतिरिक्त थाना प्रभारी हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उप-निरीक्षक रोशनी कुमारी शामिल हैं।

# धर्मनगरी प्रयागराज में गरमाई राजनीति

हाल के दिनों में प्रयागराज माघ मेला से जुड़े मामले को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वानंद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। साधु-संतों, प्रशासन और परंपराओं को लेकर उनकी टिप्पणियों ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है। ज्ञात हो कि विवाद तब शुरू हुआ जब 18 जनवरी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। मेला अधिकारियों का कहना है कि स्वामी जी के समर्थकों ने पालकी (चतुष्पद) ले जाने के लिए प्रतिबंधित बैरिकेड्स तोड़े और बिना अनुमति के वीआईपी मार्ग का उपयोग किया। अविमुक्तेश्वरानंदजी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें संगम जाने से रोका और उनके दंडी सन्यासी शिष्यों व बटुक ब्राह्मणों के साथ अभद्रता की। करीब 15 शिष्य घायल हुए और उनकी 'शिखा' (चोटी) तक खींची गई। शंकराचार्य ने इसे अनुचित रोकथाम और अपमान बताया।

हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई अपमान नहीं किया गया। केवल भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा तथा नियमों के कारण ऐसा किया गया। मुझसे गंगा स्नान का मेरा जन्मसिद्ध अधिकार छीना जा रहा है। क्या अब साधु-संतों को गंगा स्नान के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी होगी? यह संतों का अपमान है। इस घटना के बाद वे बिना अन्न-जल ग्रहण किए धरने पर बैठ गए थे। इस बीच, प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है।

गौरतलब है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से पुराना नाता रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने शास्त्र सम्मत विधि का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था-अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के विरुद्ध है। जब मंदिर पूरी तरह निर्मित नहीं हुआ, तो उसकी प्रतिष्ठा करना 'उचित नहीं' है। उनका तर्क था कि शिखर के बिना मंदिर का शरीर अधूरा है और ऐसे में वहां देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने गोरक्षा का मुद्दे भी उठाया था। उन्होंने कहा था-गो माता की रक्षा के लिए हम मर जाएंगे या मार देंगे। आजादी के 75 साल बाद भी गायों का कटना बंद नहीं हुआ, यह हमारे लिए कलंक है। उन्होंने

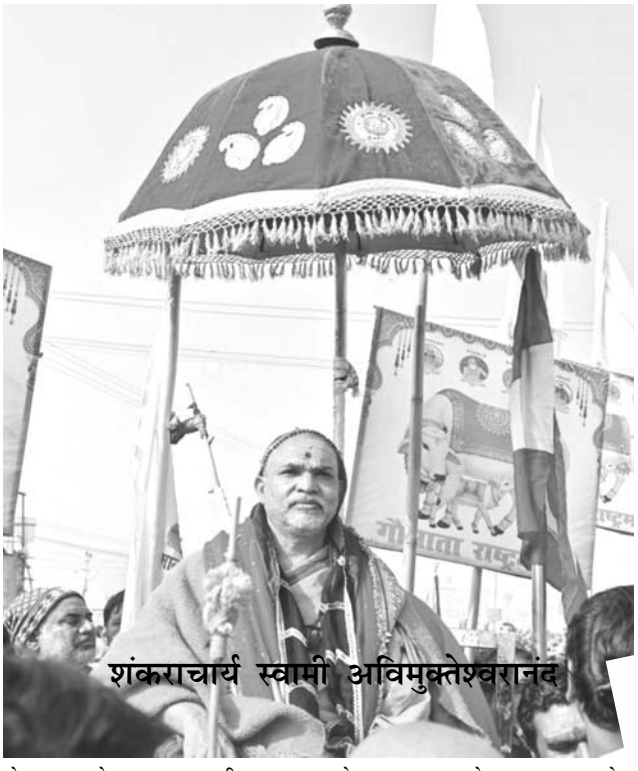

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

केदारनाथ से जुड़ा मुद्दा भी उठाया था। बहरहाल, माघ मेला विवाद में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन सख्त रुख में दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और मेला अधिकारियों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से विवाद के बाद अब मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि आप खुद को कैसे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। वही प्रदेश सरकार के गृह सचिव और मेला अधिकारियों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से विवाद के दौरान अधिकारियों पर अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मारपीट का भी आरोप लगा। जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से ही मना कर दिया था और तब से ही वह अपने शिविर के बाहर विरोध में बैठे हैं। नोटिस में कहा गया है कि जब तक उच्चतम न्यायालय कोई अग्रिम आदेश पट्टाभिषेक के संबंध में पारित नहीं करता है, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता है। यह नोटिस माघ मेला क्षेत्र में अविमुक्तेश्वरानंद के लगाए गए शिविर के बोर्ड पर 'ज्योतिष पीठ शंकराचार्य' शब्द के प्रयोग



मोहित गुप्ता

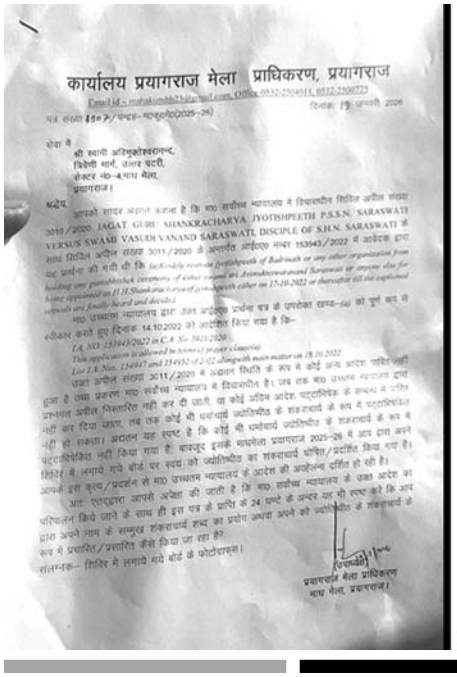

को लेकर भेजा गया है। प्राधिकरण का कहना है कि शंकराचार्य पद से संबंधित मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं को शंकराचार्य घोषित करना न्यायालय में लंबित मामले की अवहेलना है। दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेसवार्ता में कहा कि उन्होंने अपनी बात पहले ही सार्वजनिक रूप से रख दी थी। इसके बावजूद देर रात प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ उनके शिविर में पहुंचा और नोटिस चस्पा कर दिया। उन्होंने बताया कि शिविर की ओर से प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि नोटिस सुबह 9 बजे आकर दिया जाए, लेकिन नोटिस रिसीव न होने पर उसे चस्पा कर दिया और वहां से चले गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि नोटिस में उनसे 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उन्होंने अपने नाम के आगे 'शंकराचार्य' क्यों लगाया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण जिस तत्परता से यह कार्रवाई कर रहा है, वह कई सवाल खड़े करती है।

बताते चले कि इस मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एन. मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नोटिस में सुप्रीम कोर्ट का



कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज

सेवा में

श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द,
त्रिवेणी मार्ग, उत्तर पटरी,
सेक्टर नं0-4 माघ मेला,
प्रयागराज।



ANJANI KUMAR MISHRA
Advocate on Record
Ch. No. 12, D-Block, ABC Building,
Supreme Court of India, New Delhi - 110001
Mob: 9213145580, mail: anjanilaw@gmail.com

To,

Dated: 20.01.2026

Upadhyaksh
Prayagraj Mela Pradhikaran
Office Prayagraj Mela Pradhikaran
Maghmela, Prayagraj
Email ID:mahakumbh25@gmail.com
Phone: 0532-2504011, 0532-2500775

**Re:** Your Letter No. 4907/ 15 – M. K.M. (2025-26) date 19 January 2026 served after midnight by affixing at the entrance of Magh-mela Sivir of my esteemed Clint by Kanoongo and officials and police accompanying him while he was asleep.

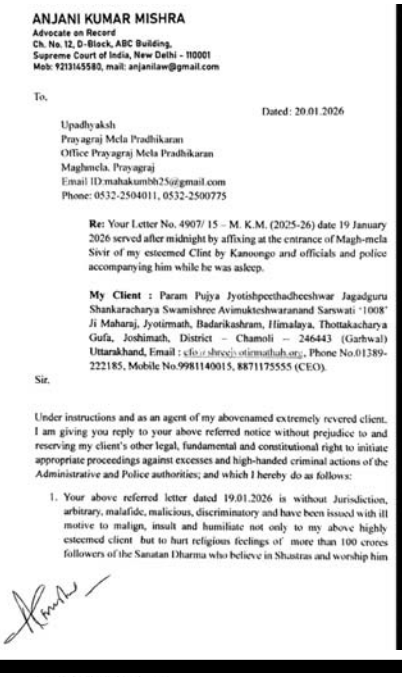

**My Client :** Param Pujya Jyotishpeethadheeshwar Jagadguru Shankaracharya Swamishree Avimukteshwaranand Sarswati '1008' Ji Maharaj, Jyotirmath, Badarikashram, Himalaya, Thottakacharya Gufa, Joshimath, District – Chamoli – 246443 (Garhwal) Uttarakhand, Email : cfo@shreejyotirmathah.org, Phone No.01389-222185, Mobile No.9981140015, 8871175555 (CEO).

Sir,

Under instructions and as an agent of my abovenamed extremely revered client, I am giving you reply to your above referred notice without prejudice to and reserving my client's other legal, fundamental and constitutional right to initiate appropriate proceedings against excesses and high-handed criminal actions of the Administrative and Police authorities; and which I hereby do as follows:

1. Your above referred letter dated 19.01.2026 is without Jurisdiction, arbitrary, malafide, malicious, discriminatory and have been issued with ill motive to malign, insult and humiliate not only to my above highly esteemed client but to hurt religious feelings of more than 100 crores followers of the Sanatan Dharma who believe in Shastras and worship him



पी.एन. मिश्रा

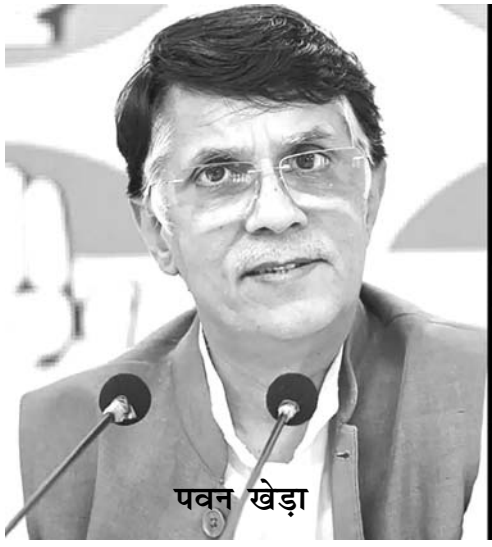
पवन खेड़ा

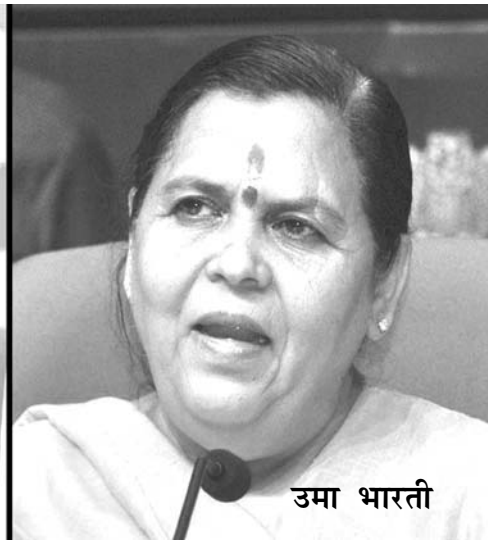
उमा भारती

संदर्भ देकर यह प्रश्न उठाया गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वयं को शंकराचार्य कैसे लिख सकते हैं। अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य घोषित किए जाने का उल्लेख था। हालांकि, फर्जी हलफनामा दाखिल कर उन्हें अयोग्य घोषित करने का प्रयास किया गया। वकील ने यह भी कहा कि माघ मेले में इस समय लगभग 15 ऐसे शंकराचार्य मौजूद हैं, जिन्हें प्रशासन की ओर से सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है। अधिवक्ता ने बताया कि 12 सितंबर 2022 को विधिवत पट्टा अभिषेक संपन्न हो चुका है, जिसमें चादर और तिलक की रस्में भी पूरी की गई थीं। वर्ष 2023 में शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जो अभी लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि वासुदेवानंद सरस्वती ने अदालत में झूठा हलफनामा प्रस्तुत किया है। प्रशासन द्वारा दिए गए नोटिस के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है, उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि 'शंकराचार्य' शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि माघ मेले में कोई पट्टा अभिषेक नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी इस मामले में अदालत में पक्षकार है, लेकिन पिछले तीन वर्षों से कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नोटिस उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वे लगातार गौ-हत्या बंद करने की मांग उठा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर उनकी ओर से भी प्रशासन को एक नोटिस भेजा जाएगा।

गौरतलब है कि माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौनी अमावस्या (18 जनवरी 2026) को संगम स्नान के दौरान शुरू हुआ यह विवाद अब कानूनी और राजनीतिक रंग ले चुका है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। घटना के बाद स्वामी जी अपने शिविर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके जवाब में प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 20 जनवरी को एक नोटिस चस्पा किया, जिसने विवाद को और भड़का दिया। प्रयागराज में इस समय स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। अब देखना होगा कि विवाद कब तक शांत होता है लेकिन फिलहाल धर्म नगरी के माघ मेला में राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि स्वामीजी के वकीलों ने 8 पन्नों का जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उनका 'पट्टाभिषेक' कोर्ट के रोक संबंधी आदेश से पहले ही (12 अक्टूबर 2022) हो चुका था। उन्होंने इस नोटिस को 'करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का अपमान' बताया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब उत्तरप्रदेश सरकार और मेला प्रशासन को कानूनी नोटिस भेजकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और माफी की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा 'गौ-माता' को राष्ट्रमाता घोषित कर दे, तो वे अपना मुंह अपने आप बंद कर लेंगे। दूसरी ओर इस घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे 'धर्मद्रोह' करार दिया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई। पार्टी ने इसे बीजेपी का धर्मद्रोह और साधुओं का अपमान करना बताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्वामी को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, केदारनाथ में '228 किलो सोने की चोरी' और कोविड में गंगा में शवों पर सवाल उठाए थे। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने प्रशासन का बचाव करते हुए कहा कि नियमों का पालन सभी को करना चाहिए और जुलूस के रूप में संगम तक जाने की जिद्द गलत थी। वहीं, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने शिष्यों के साथ हुई मारपीट पर कड़ा ऐतराज जताया है। वही वरिष्ठ भाजपा नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की उपाधि को लेकर हो रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शंकराचार्य होने का सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह अधिकार सिर्फ शंकराचार्यों और विद्वत परिषद

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अखिलेश यादव

का है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा। इस घटना के बाद राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर लंबी बातचीत की और प्रशासन के व्यवहार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जिस तरह से संतों के साथ व्यवहार किया, वह निंदनीय है। किसी भी हिन्दू का संगम में स्नान करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे इससे वंचित करना असंवैधानिक है। अखिलेश ने स्वामी जी से कहा कि ये बहुत खराब लोग हैं, वाराणसी में भी इन्होंने मंदिर तोड़े। सपा नेता अखिलेश यादव ने एक बार फिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए कहा कि सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग है। धर्म विरोधी भाजपा और उनके संगी-साथी अपने दंभ के वश में सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, उससे समस्त सनातनी समाज आक्रोशित हो गया है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि जिन कनिष्ठ कर्मचारियों को भाजपा सरकार साधु-संतों के अपमान का ये निकृष्ट कुकृत्य करने के लिए बाध्य कर रही है वो भी इस पाप को करना नहीं चाहते हैं और अंदर से डरे हुए हैं। उनके बीच भी एक अंदरूनी आक्रोश जन्म ले चुका है लेकिन नौकरी की मजबूरी की वजह से वो बाहरी तौर पर शांत हैं। भाजपा के समर्थक तक शर्मिंदा हैं! भाजपा जब सनातन की सगी नहीं है, तो बाकी किसी और की क्या होगी।

लब्बोलुआब है कि ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वानंद और कैसे उमाशंकर उपाध्याय से देश के प्रभावशाली धर्माचार्य बने। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील स्थित ब्राह्मणपुर गांव में जन्मे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दीक्षा लेने से पहले नाम उमाशंकर उपाध्याय था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 2006 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से दीक्षा ली थी। वह ज्योतिष पीठ के 46वें शंकराचार्य हैं। उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1994 में छात्र संघ चुनाव में जीत भी हासिल की थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक उम्मीदवार का समर्थन भी किया था। वर्ष 2008 में उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए अनशन किया था और अब यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुडा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर लगातार बहस और बयानबाजी जारी है। दरअसल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यूजीसी बिल और शंकराचार्य के साथ हुई घटना के विरोध में यह कदम उठाया है। बता दें कि इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें वह पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है कि हैशटैग यूजीसी रोल बैक..., काला कानून वापस लो। शंकराचार्य और संतों को यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर पूरे प्रदेश के प्रशासनिक वर्ग में खलबली मचा दी है। यह भी इस्तीफा इन्होंने 26 जनवरी जैसे मौके पर दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना

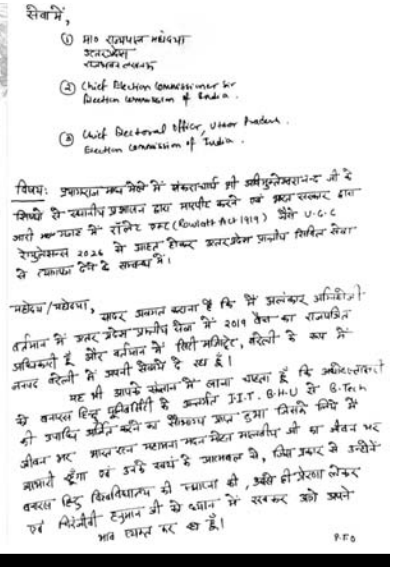

अलंकार अग्निहोत्री

अविनाश सिंह

को लेकर अपना विरोध जताने को हर किसी को हैरत में डालने वाला तरीका अपनाया है। उन्होंने राज्यपाल और निर्वाचन आयोग को भेजे गए सात पन्ने के अपने इस्तीफा में सबसे नीचे स्पष्ट लिखा है कि अब केंद्र एवं राज्य सरकार में न ही जनतंत्र है और न ही गणतंत्र है, बस भ्रमतंत्र है। देश में अब देशी सरकार नही विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने यूजीसी बिल पर भी विरोध जताया है। उन्होंने सीधे राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान ज्योतिष पीठ ज्योर्तिमठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानन्द एवं उनके शिष्य, बटुक, ब्राह्मणों से स्थानीय प्रशासन ने मारपीट की। वृद्ध आचार्यों को मारते हुए बटुक ब्राह्मण को जमीन पर गिराकर एवं उसकी शिखा को पकड़कर घसीटकर पीटा गया और उसकी मर्यादा का हनन किया गया, चूंकि चोटी/शिखा ब्राह्मण, साधु संतों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक है और मैं (अलंकार अग्निहोत्री) स्वयं ब्राह्मण वर्ण से हूं। पत्र में आगे लिखा है कि प्रयागराज की घटना से यह स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्राह्मणों का देशव्यापी अपमान किया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी कहा है कि प्रयागराज में हुई घटना एक चितंनीय एवं गंभीर विषय है और ऐसे प्रकरण इस सरकार में होना एक साधारण ब्राह्मण की आत्मा को कंपा देता है। इस प्रकरण से यह प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रशासन एवं वर्तमान की राज्य सरकार एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के साथ काम कर रही है एवं साधु संतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि वह शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से आहत हैं। साथ ही उन्होंने यूजीसी के नए कानून का विरोध भी किया। वही बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद देर रात अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। अब इस पूरे विवाद में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई हैं। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है। शंकराचार्य ने फोन पर उनसे बात की और आश्वासन दिया कि सरकार ने आपको बड़ा पद दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में आपको

देंगे। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। शंकराचार्य ने कहा कि एक तो दुख हो रहा है कि आपने कितनी लगन से पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर आप इस पद पर आए होंगे। आज एक झटके में आपका ये पद चला गया। लेकिन, दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है। उससे पूरा सनातनी समाज प्रसन्न है और आपका अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में हम आपको देने के लिए प्रस्तावित करते हैं। अब सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया में अलंकार अग्निहोत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अग्निहोत्री शंकराचार्य के शिष्य बन सकते हैं। हालांकि यह सब अभी अटकलें ही हैं। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें डीएम आवास पर 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने की खबर आने के बाद डीएम बरेली अविनाश सिंह ने मुझे वार्ता के लिए अकेले बुलाया था, मैं डीएम और कुछ अन्य अधिकारी गणों के साथ बैठा था। मुझे लगातार प्रलोभन दिया जा रहा था। संभवत: लखनऊ से एक कॉल आया था डीएम उठकर बाथरूम में चले गए वो स्पीकर फोन पर थे। उधर से आवाज आई कि पंडित पागल हो गया है। इसे रातभर अपने आवास में बंधक बनाकर रखो। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर होने पर उन्होंने तत्काल एक वरिष्ठ सचिव को फोन कर जानकारी दी कि उन्हें जबरन रोका गया है। राज्य सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। विदित हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया। सरकार ने उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर जांच कमेटी गठित की है। बरेली मंडल के मंडलायुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री को शामली के जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

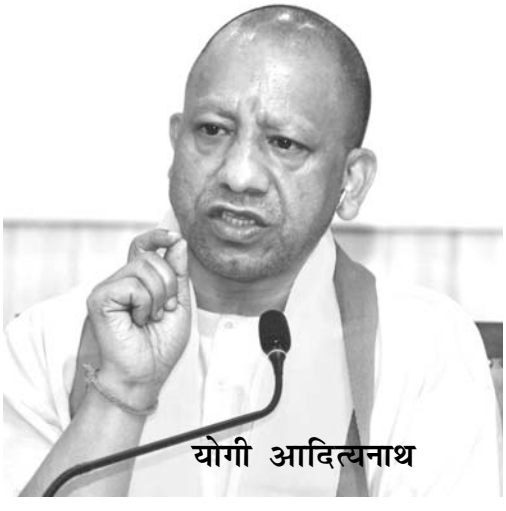

योगी आदित्यनाथ

गौरतलब है कि अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस ऑफिसर हैं। यूजीसी की नई गाइडलाइन को रॉलेट एक्ट 1919 की संज्ञा देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन सामान्य वर्ग के छात्रों का शोषण करने वाली है। उन्होंने लिखा है कि इस गजेटियर में पैरा 2, 5, 6 और 7 सवर्णों के खिलाफ है। इनसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और भूमिहार जैसी जातियों के बच्चों के प्रति विषमताओं और षड्यंत्र करने का मौका मिलेगा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के एक पैरा को पढ़कर ये अंदेशा मिलता है कि इस्तीफे के बाद वो राजनीति में कदम रखने वाले हैं। उन्होंने एक पैरा में लिखा है कि अब समय आ गया है कि ब्राह्मण और अन्य सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने का। उन्होंने लिखा है कि सामान्य वर्ग की बात करने वाला कोई नहीं बचा है। फिलहाल सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे को लेकर विपक्षी दलों को बीजेपी पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका मिल गया है। यूपी में ब्राह्मण राजनीति को लेकर बीते दो महीनों से बवाल मचा हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को ब्राह्मण विरोधी बताने की कोशिश के बीच अब यूजीसी को सवर्णों के खिलाफ बताकर माहौल बनाया जा रहा है। इस बीच सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। देखना होगा बीजेपी अब आगे किस रणनीति पर आगे बढ़ती है।

बहरहाल, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान रहना होगा। सीएम योगी ने सोनीपत में नाथ संप्रदाय के धार्मिक कार्यक्रम में कहा कि संत के लिए व्यक्तिगत संपत्ति कुछ नहीं होती। उसके लिए उसका धर्म ही संपत्ति होती है। उन्होंने कहा कि धर्म, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। उन्होंने धर्म को आचरण से साबित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ आचरण करता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो, उसे सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनके कालनेमि संबंधी बयान को इस विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।

# 'Fake' Images of Manikarnika Ghat Redevelopment Circulated Online; 8 FIRs Registered

Uttar Pradesh Police have registered eight separate FIRs in Varanasi against individuals accused of circulating AI-generated images and misleading information on social media related to the redevelopment work at Manikarnika Ghat, officials said.

Deputy Commissioner of Police Gaurav Bansal stated that the cases were filed against eight individuals and several X (formerly Twitter) handles under relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). According to police, fabricated images and false claims—misrepresenting the ongoing beautification and infrastructure strengthening work at the historic cremation ghat—were shared on X. Officials alleged that some of the images were falsely linked to Hindu deities with the intention of hurting religious sentiments, spreading misinformation, provoking public anger and disturbing communal harmony.

A complaint was lodged at the Chowk police station by Mano, a resident of Tamil Nadu, whose company has been carrying out cremation-related infrastructure upgrades and beautification work at Manikarnika Ghat since November 15, 2025. As per the complaint, an X user uploaded AI-generated and misleading images on the night of January 16, presenting distorted facts about the redevelopment project. Police said the posts misled Hindu devotees, triggered resentment in society and subsequently drew a large number of objectionable comments and reposts, further escalating tensions.

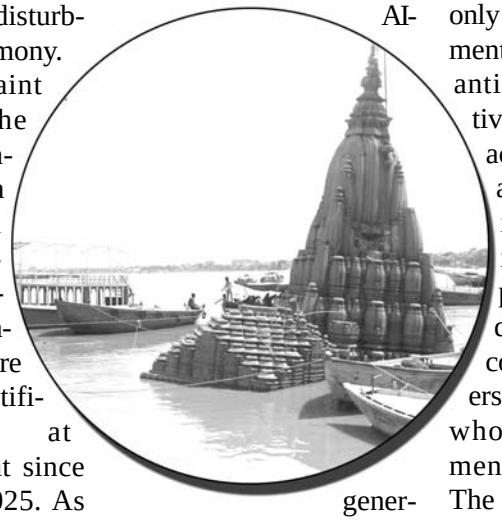

DCP Bansal said the alleged attempt was not only to hurt religious sentiments but also to create an anti-government narrative. He added that strict action would continue against those spreading rumours and misinformation. Legal proceedings are underway against the concerned X handle users as well as individuals who reposted or commented on the content. The controversy surfaced amid ongoing redevelopment work at the centuries-old cremation site, which has already seen protests from some local residents over concerns of heritage damage. However, District Magistrate Satyendra Kumar clarified that no temple had been harmed during the redevelopment process.

# अफवाह, पत्थरबाजी और साजिश
# दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर बवाल

● संजय कुमार सिन्हा

एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर फैज-ए-इलाही मस्जिद, तुर्कमान गेट के पास के इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी करके गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया। एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर मस्जिद से सटे अवैध दवा घर और बारात घर को गैरकानूनी घोषित कर कार्रवाई की। इससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चलाकर स्थिति को काबू किया। तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए- इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई रातभर चली। एमसीडी की कार्रवाई से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केवल

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। दिल्ली नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत हमने ये कार्रवाई की है। यह कार्रवाई हमने रात के समय ही शुरू की थी। हमने इस कार्य में 32 जेसीबी लगाए, जो अतिक्रमण वेस्ट रह गया है जिसे जल्द ही उठा लिया जाएगा। किसी को चोट नहीं आई है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और तुरंत स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

गौरतलब है कि तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास एमसीडी द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 10 से 15 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी नितिन वलसन ने तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने और पथरबाजी की घटना पर कहा

विवेक अग्रवाल

कि रात में एमसीडी के कर्मचारी जेसीबी लेकर आए थे। हमने लोगों को बताया कि यह कोर्ट का आदेश है और वे इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। उन्होंने अपील की, लेकिन उन्हें स्टे ऑर्डर मिला। 25-30 लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में, हमने उन्हें पीछे हटाने के लिए बल का इस्तेमाल किया। इस पत्थरबाजी में पांच पुलिस अधिकारी घायल हो गए; उन्हें मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि हमने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और 5 लोगों को हिरासत में लिया है।

नितीन वलसन

तोड़फोड़ का काम एमसीडी कर रही है। जितना काम होना था, उतना हो गया है, और काम अभी भी जारी है। हमने ड्रोन कैमरे भी लगाए थे, हम सभी कैमरों की जांच कर रहे हैं। वलसन के अनुसार, पुलिस बॉडी-वर्न कैमरों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की भी जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल ने बताया कि ये मामला काफी समय से हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। यह लगभग 36,400 वर्ग फुट का क्षेत्र था। इसके आस-पास दो मंजिला दीवार थी, जिस पर एक मंजिला ढांचा बना हुआ था। मस्जिद के पास जितनी जमीन थी, वो सुरक्षित है। कार्रवाई के दौरान हमने 32 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीन, न्यूमेटिक हैमर और कई ट्रकों का हमने इस्तेमाल किया। हमारी टीम के किसी सदस्य को कोई हानि नहीं हुई है। वही बता दें कि पत्थरबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है। बीते दिनों दो और लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद नावेद (44), मोहम्मद फैज (20), मोहम्मद उबैदुल्लाह (23), मोहम्मद आरिब (25), मोहम्मद काशिफ (25), मोहम्मद कैफ (23), मोहम्मद अदनान (37), समीर हुसैन (40), मोहम्मद अतहर (20), शहनवाज आलम

(55), मोहम्मद इमरान (28), मोहम्मद इमरान उर्फ राजू (36), मोहम्मद अफ्फान (20), मोहम्मद आदिल (20), मोहम्मद आमिर हमजा (22), मोहम्मद उबैदुल्लाह (26), फहीम (30) और मोहम्मद शहजाद (29) के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तुर्कमान गेट के संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और वहां पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात हैं। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, "इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से व्यापक निगरानी की जा रही है। स्थिति शांतिपूर्ण और पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि जांच जारी है और डिजिटल सबूतों का विश्लेषण किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि इसके साथ ही, हिंसा से जुड़े मामलों में गलत सूचना फैलाने और पत्थरबाजी में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान क्षेत्र में स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास 6 और 7 जनवरी की दरम्यान रात को अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हो गई थी। इस दौरान कई लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी थीं, जिसमें क्षेत्र के थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तनाव उस समय फैला जब सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तोड़ा जा रहा है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा होने लगे।

विदित हो कि दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के पास अवैध कब्जों को हटाने गई एमसीडी की टीम पर पत्थरबाजी के मामले में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम भी सामने आ रहा है। नदवी पर आरोप है कि उन्होंने देर रात लोगों को भड़काया। भाजपा प्रवक्ता नवीन कोहली ने एमसीडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाज से बात हो चुकी है। फिर सपा के सांसद जाते हैं, धर्म को बीच में लाया जाता है। पत्थरबाजी होती है। उन्होंने इस मामले में सपा से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोहली ने कहा कि डेढ़ बजे रात को कोई अपने घर से तुर्कमान गेट जाता है? उनकी वजह से वहां की स्थिति नाजुक है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था? इस पर अखिलेश यादव और सपा को जवाब देना चाहिए। वही सपा सांसद नदवी ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि इससे पहले महरौली में

नवीन कोहली

मोहिबुल्लाह नदवी

अखिलेश यादव

एम.टी. हसन

एक मस्जिद रातोंरात गायब कर दी गई थी। उसके लिए मैंने संसद में भी आवाज उठाई थी। जब मैंने तुर्कमान गेट वाली खबर सुनी तो सोचा कि लोग कहीं बेकाबू ना हो जाएं, इसलिए मैं मौके पर पहुंचा था। उन्होंने कहा कि मैं जब वहां गया तो लोगों से अपील की कि अपने-अपने घरों में जाएं। एक वीडियो भी हैं, जिसमें मैं लोगों से शांत रहने के लिए कह रहा हूं। वही एमसीडी की कार्रवाई के दौरान हुए बवाल को लेकर सपा नेता एस.टी. हसन ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। एस.टी. हसन ने अपने बयान में एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी ड्राइव की आलोचना करते हुए कहा कि मुसलमानों के प्रति दुश्मनी में सारी हदें पार कर दी गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि ठंड की रात में उस जगह बुलडोजर एक्शन की आवश्यकता क्या थी जहां मस्जिद और दरगाह है। उन्होंने कहा कि जब आस्था और भावनाओं से जुड़े धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई होगी, तो इस एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। यह 100 साल पुरानी मस्जिद है। इसकी दुकानें भी पुरानी हैं। जब अतिक्रमण हटाने के नाम पर जुल्म किया जाएगा, तो लोग कब तक उसका विरोध नहीं करेंगे, कब तक खुद को रोकेंगे? सपा नेता ने कहा कि अगर जनता सड़कों पर उतर आएगी तो हालात आपे से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत सोच-समझकर ईमानदार तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए।

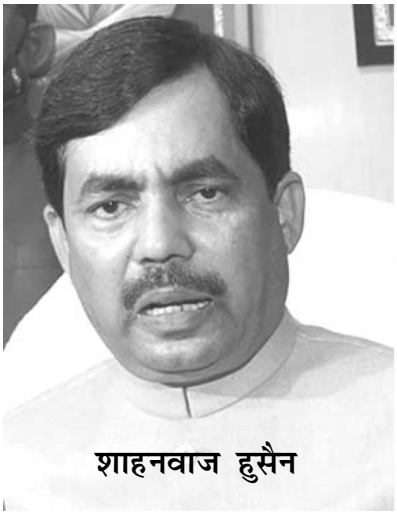
शाहनवाज हुसैन

मुख्तार अब्बास नकवी

बहरहाल, दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के कथित विध्वंस की अफवाहों का खंडन करने के लिए अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की लेकिन उसे हवा देने में कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर प्रसारित भ्रामक दृश्य संदेशों ने तनाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में इस मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई थी। एमसीडी की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम ने तुर्कमान गेट इलाके से सबूत एकत्रित किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हालात उस समय बिगड़ गए जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को अतिक्रमण-रोधी अभियान के दौरान ध्वस्त किया जा रहा है और लोग वहां इकट्ठा होने लगे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस 450 वीडियो फुटेज खंगाल रही है। इनमें सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडीकैम और सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो शामिल हैं। एमसीडी के उपायुक्त विवेक कुमार ने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया था, जहां एक निदान केंद्र और 'बैंक्वेट हॉल' समेत कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दूसरी तरफ भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया है वह तो जमीनदोज होगा ही। वहां पर जिस तरह पत्थरबाजी की गई वह बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी यह स्वीकार्य नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। वही सत्तारूढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोगों को ''सांप्रदायिक षड्यंत्र गिरोह'' से सावधान रहना चाहिए, जो ऐसी घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करता है। नकवी ने अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए गए अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के कुछ तत्वों के प्रयासों की निंदा की।

# Obscene Video of Karnataka DGP Goes Viral, Officer Suspended: Full Details

An alleged obscene video involving K. Ramachandra Rao, Director General of Police (DGP) posted with the Directorate of Civil Rights Enforcement (DCRE) in Karnataka, has gone viral on social media. The video purportedly shows Rao in an objectionable situation with women. Taking serious note of the matter, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah ordered his suspension and directed a detailed inquiry.

**Why the Video Triggered a Major Controversy**

Multiple video clips allegedly featuring K. Ramachandra Rao—stepfather of jailed actress Ranya Rao—surfaced on social media on Monday. The clips reportedly show the senior police officer engaging in obscene acts with different women inside his office. The videos sparked widespread outrage, causing a stir within administrative and political circles. Given the gravity of the allegations, the state government moved swiftly and suspended Rao with immediate effect.

**What K. Ramachandra Rao Said**

Speaking to the media outside Karnataka Home Minister G. Parameshwara's residence, Rao denied all allegations, stating, "I am completely shocked. These videos are fake and have nothing to do with me." He claimed that in today's digital age, fabricated videos can be created easily and suggested that the clips could be part of a conspiracy to damage his reputation.

When asked whether the videos could be old, Rao said that if the timeline was being discussed, it might date back to around eight years ago when he was posted in Belagavi. However, he again asserted that he had no connection with the videos. After the videos went viral, Rao attempted to meet the Karnataka Home Minister, but the meeting did not take place.

**What Chief Minister Siddaramaiah Said**

Reacting strongly to the controversy, Chief Minister Siddaramaiah said that no official is above the law. He emphasized that strict disciplinary action would be taken if required and assured that the matter would be investigated thoroughly.

# कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
( अधिवक्ता )
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

**★ पहले पति के रहते हुए दूसरी शादी करना क्या मान्य है?**

पहले पति के रहते हुए दूसरी शादी करना भारत में कानूनन अमान्य (वाइड) और आपराधिक (क्रिमिनल ऑफेंस) है, जिसे 'द्विविवाह' (बिगामी) कहते हैं, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 (अब बीएनएस की धारा 82) के तहत इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, क्योंकि पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने पर कानून कोई मान्यता नहीं देता और यह एक दंडनीय अपराध है :-

❖ **कानूनी स्थिति :-**

☞ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ( हिंदू मैरिज एक्ट) की धारा 5 के तहत, विवाह तभी वैध माना जाता है जब किसी भी पक्ष का कोई जीवित पति या पत्नी न हो. इस शर्त के उल्लंघन पर विवाह धारा 11 के तहत शून्य (वाइड) होता है।

☞ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 494 (अब बीएनएस की धारा 82) के अनुसार, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है।

☞ विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) के तहत भी यही नियम लागू होता है, जहाँ वैध विवाह के लिए पहले से शादीशुदा न होना जरूरी है।

❖ **परिणाम ( कंसीक्वेंसेस ) :-**

☞ दूसरी शादी अमान्य :- आपकी दूसरी शादी कानून की नजर में कोई कानूनी अस्तित्व नहीं रखती।

☞ आपराधिक सजा :- दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।

☞ कानूनी कार्रवाई :- पहली पत्नी या पति इसके खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आईपीसी 494 एक गैर-संज्ञेय (नॉन-कॉग्निजेबल) अपराध है, इसलिए पुलिस सीधे फिर दर्ज नहीं कर सकती, शिकायत कोर्ट में होती हैद्य संक्षेप में, जब तक पहली शादी कानूनी रूप से (तलाक से) खत्म नहीं हो जाती, तब तक दूसरी शादी भारत में पूरी तरह अवैध और दंडनीय है।

**★ न्यायिक प्रक्रिया में युवा अधिवक्ताओं की चुनौतियां एवं उनकी भूमिका क्या है?**

न्यायिक प्रक्रिया में युवा अधिवक्ताओं की चुनौतियां एवं उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण विषय है, जो भारतीय कानूनी व्यवस्था की वास्तविकता को दर्शाता है। युवा वकील न केवल न्याय पहुंचाने में सहायक होते हैं, बल्कि प्रक्रिया को गतिशील भी बनाते हैं।

☞ **युवा अधिवक्ताओं की चुनौतियां :-** युवा अधिवक्ताओं को प्रारंभिक चरण में अनुभव की कमी, वरिष्ठ वकीलों के साथ प्रतिस्पर्धा और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। ड्राफ्टिंग, बहस की तकनीक और डिजिटल साक्ष्यों जैसे नए क्षेत्रों में महारत हासिल करना एक बड़ी बाधा है, खासकर जब बार एसोसिएशन में स्थापित होना कठिन हो। इसके अलावा, गरीब वादियों की सहायता के लिए स्वेच्छा की अपेक्षा के बावजूद, फीस की अनुपस्थिति में प्रोत्साहन की कमी एक प्रमुख समस्या बनी रहती है।

☞ **युवा अधिवक्ताओं की भूमिका :-** युवा अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया को ताजगी प्रदान करते हैं, वैकल्पिक विवाद निपटान जैसे मध्यस्थता में सक्रिय योगदान देते हैं। वे डिजिटल सुनवाई और ई-साक्ष्यों के माध्यम से आधुनिक न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, जिससे गरीब वादियों तक न्याय पहुंच सुनिश्चित होती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सराहना से स्पष्ट है कि वे सामाजिक सद्भावना बढाने में महत्वपर्ण है। फीस की अनुपस्थिति में प्रोत्साहन की कमी एक प्रमुख समस्या बनी रहती है।

☞ **समाधान के उपाय :-** प्रशिक्षण कार्यशालाएं, सेमिनार और बार कल्याण योजनाएं युवा वकीलों के कौशल विकास में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। स्वेच्छा से गरीबों की सहायता और बार संगठनों का सहयोग चुनौतियों को कम कर सकता है, इससे न्याय प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी।

**★ क्या कोई गिरफ्तार व्यक्ति अपने किसी संबंधी को सूचित करने के लिए पुलिस को बाध्य कर सकता है?**

यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने संबंधी या मित्रों तक पहुंचा सके, इस अधिकार का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(क) में दिया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी कर रहा है ऐसी गिरफ्तारी की सूचना तथा स्थान की सूचना ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र, रिश्तेदार या उसके निकट संबंधी अथवा गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही उसे पुलिस थाने में लाया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 की उप धारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा । (ग) पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में इस बात की और ऐसे प्रारूपों में जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करें गिरफ्तारी की सूचना जिस व्यक्ति को दी गई है वह उस की प्रविष्टि की जाएगी (घ) उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत किया गया है यह कर्तव्य होगा कि वह संतुष्टि कर ले कि इस धारा की उप धारा 2 और 3 की औपचारिकताएं गिरफ्तार व्यक्ति के संदर्भ में पूरी कर ली गई हैं।

# आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

## बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

# केवल सच

## और

# केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

## योग्यता:-

| जिला ब्यूरो | प्रखंड संवाददाता | पंचायत संवाददाता | विज्ञापन प्रतिनिधी |
|---|---|---|---|
| स्नातक उतीर्ण | स्नातक/इंटर | स्नातक/इंटर/मैट्रिक | स्नातक/इंटर/मैट्रिक |

**संपर्क करे:-**

**पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग**

**पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308**

# WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

## (Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC





AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D









SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Dispersing Happiness

**WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.**
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008